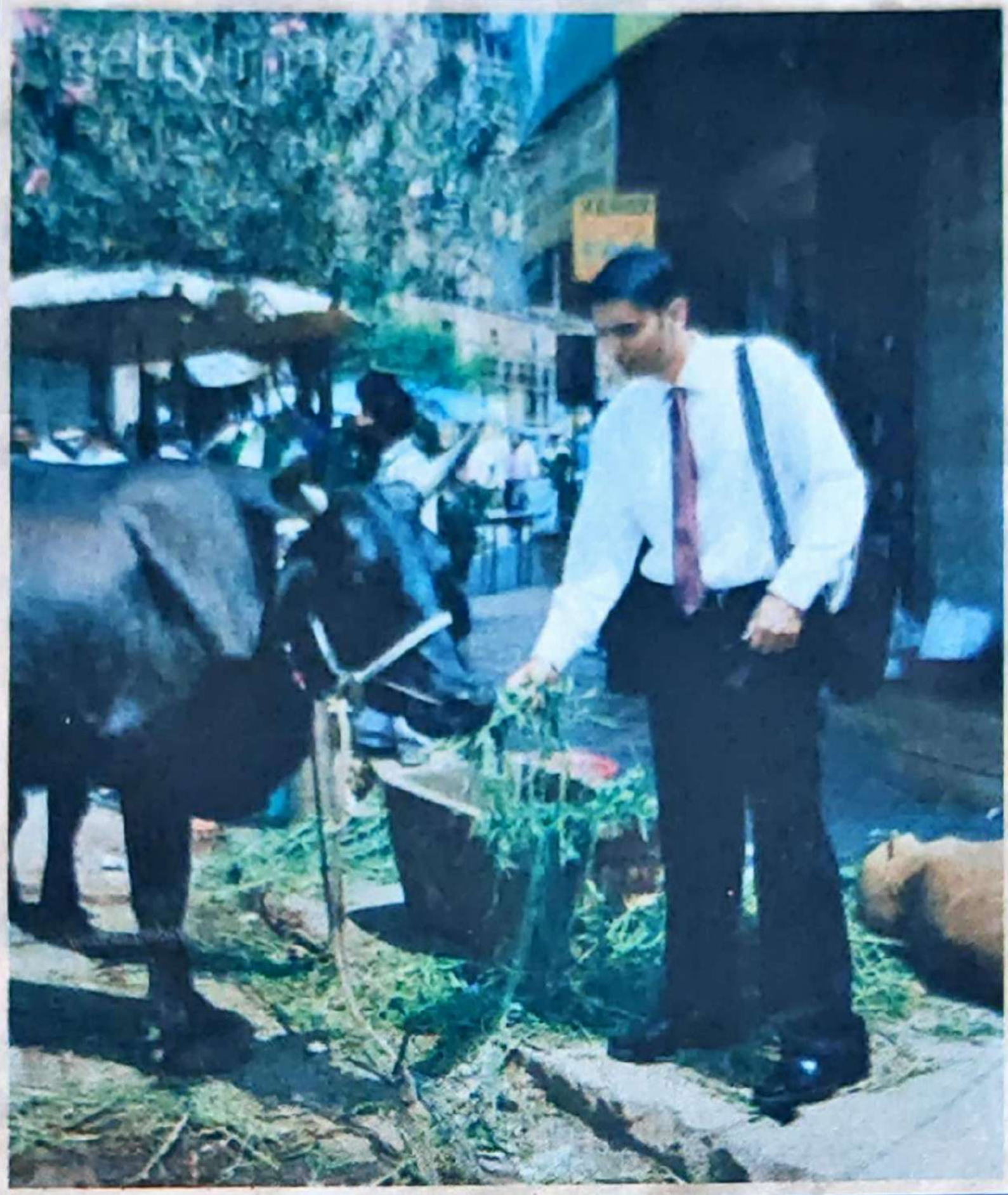

सत्यमेव जयते

पशु-चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं

व्यवसाय अध्ययन केन्द्र
केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान, (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार, ए-49, सैक्टर 62, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

आमुख

इस संस्थान का व्यवसाय अध्ययन केन्द्र, छात्रों और नौकरी की खोज में लगे लोगों, व्यावसायिक मार्गदर्शी कार्मिकों और अध्यापक सलाहकारों (काउंसलरों) के उपयोग के लिए कैरियर की जानकारी संबंधी सामग्री तैयार करने में कार्यरत है। पशु-चिकित्सा एवं पशु-पालन व इनसे सम्बन्धित विषयों की जानकारी के लिए छात्रों और व्यवसाय ढूंढने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रकाशन तैयार किया गया है।

छात्र एवं व्यवसाय ढूंढने वाले अपनी पसन्द के प्रशिक्षण और व्यवसायिक कार्यक्रम और संस्थान चुनना चाहते हैं। इस प्रकाशन में ऐसे छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सम्बंधी कार्यक्रम एवं शैक्षिणक एवं प्रशिक्षण संस्थान चुनने में सहायता करने के लिए, पशु-चिकित्सा व पशु-पालन के क्षेत्र में उपलब्ध कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी का संकलन करने का प्रयास किया गया है जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सदृश विश्वविद्यालयों के लिए पात्रता शर्तें और अन्य शैक्षणिक विनियमों का उल्लेख किया गया है। संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित हैं।

नोएडा, सैक्टर -62
उत्तर प्रदेश
तारीख : दिसम्बर, 2009

(डा. आर.सिंह)
निदेशक प्रभारी
के.रो.सेवा.अनु. एवं प्रशि. संस्थान

आभार

1.	डा. जे.एस. भाटिया भूतपूर्व महानिदेशक, आई.सी.ए.आर., पूसा, नई दिल्ली-110012	विषय के विशेषज्ञ होने के नाते पांडुलिपि का पुनरीक्षण करने के लिए
2.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् खंड-ख, दूसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली	हमारे अनुरोध पर सूचना सामग्री भेजने के लिए
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (परीक्षा अनुभाग), कृषि अनुसंधान भवन-II पूसा, नई दिल्ली-110012	हमारे अनुरोध पर सूचना सामग्री भेजने के लिए
4.	पशु-पालन एवं डेरी उद्योग विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	हमारे अनुरोध पर सूचना सामग्री भेजने के लिए

परियोजना टीम

मार्गदर्शन	:	डा. आर. सिंह संयुक्त निदेशक रोजगार, सेवाएं निदेशक सरटस
पर्यवेक्षण	:	श्री आर. पी. सिंह, उप निदेशक
संकलन, संचलन और प्रस्तुतिकरण	:	1. श्री एस.एल. बिरहा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी 2. श्री एम.एस. अशोक कुमार, अनुसंधान अधिकारी
सचिवीय	:	1. श्रीमति प्रीति शर्मा, हिन्दी टंकण 2. श्री आनंद कृष्ण उपाध्याय लिपिक
प्रूफ रीडिंग	:	श्रीमति अनीता चानन प्रूफ रीडर

विषय-वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	शैक्षणिक कार्यक्रम	3
	(क) स्नातक डिग्री कार्यक्रम	
	(ख) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	
	(ग) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर से संबंधित जानकारी विद्या वाचस्पति कार्यक्रम	
3	अन्य संगत विषय क्षेत्र	13
	(क) डेरी उद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी	
	(ख) कुक्कुट (मुर्गी) पालन विज्ञान	
	(ग) जैव प्रौद्योगिकी	
4	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द गुजरात से संबंधित जानकारी	24
5	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से संबंधित जानकारी	26
6	अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से संबंधित जानकारी	28
7	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित जानकारी	29
8	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से संबंधित जानकारी	30
9	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर से संबंधित जानकारी	32
10	कृषि व्यापार प्रबंधन संस्थान, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित जानकारी	33
11	कैरियर संभावनाएं	35

अनुबंध

	विषय	पृष्ठ संख्या
1	स्नातक स्तर पर पढाएं जाने वाले विषय	42
2	विशेषज्ञता (एम.वी.एस.सी.)	44
3	पशु-चिकित्सा-विज्ञान व पशु-पालन में स्नाकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विधा/विषयवार सीटों की कुल संख्या एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या	46
4	भारत में पशु-चिकित्सा कालेजों के लिए (संकायाध्यक्षों)/ (डीन) की सूची	49
5	विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों (रजिस्ट्रारों) की सूची	55
6	राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों के पते।	59
7	डेरी-उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का राज्यवार विवरण	65
8	संयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों की सूची	69
9	पशु-पालन एवं डेरी उद्योग विभाग के संबंध में पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नौकरियों से संबंधित सूचना	71
10	भारत में पशु-विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थानों की सूची	76

1. प्रस्तावना

"पशुधन" फार्म अर्थात् कुक्कुट (मुर्गी) आदि सहित पशु, कृषि और डेरी उद्योग की रीढ़ है।

पशु, पक्षी, वन्य जीव संरक्षण और पालतू जानवरों की देखभाल के लिएं विशेष रूप से भारत भर में व्यापक अभियान चला हुआ है। इस संबंध में एक ओर ग्रामीण परिवेश में किसानों, ग्रामीणों और दूसरी ओर विशेषतया शहरों में पशु प्रेमियों (पालतू पशुओं के प्रति) में जागरूकता आई है। विगत कुछ वर्षों से कुक्कुट पालन और डेरी उद्योग के उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर इस क्षेत्र में शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उसके बाद पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल ने भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है जिसके लिए शिक्षित और प्रशिक्षित पशु-चिकित्सकों की आवश्यकता है। पशु-चिकित्सा विज्ञान में पशुओं की बीमारियों और उनके उपचार व रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। इसमें नैदानिक और शल्यक दोनों ही उपचारों के रूप शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें पशुओं का प्रजनन, पोषण और वैज्ञानिक पालन-पोषण भी शामिल होता है। अत: प्रशिक्षित पशु-चिकित्सकों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

पशु चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य, पशु-चिकित्सा, उपयुक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपाय सुनिश्चित करते हुए, बीमार पशुओं का इलाज और उनकी बीमारियों का निवारण करके उनके कष्टों को कम करते हुए समाज की सेवा करना है। पशु-चिकित्सक एक व्यक्ति है जो न केवल पशुओं का उपचार करता है बल्कि उनके स्वस्थ्य बने रहने और समाज के लिए उनके उपयोगी बने रहने में सहयोग भी करता है। इस प्रकार, पशु-चिकित्सक व्यवसाय उनके लिए उपयुक्त है जो पशुओं से प्रेम रखते हैं और पशुओं के प्रति सहानुभूतिशील होते हैं। जो भी इस पेशे का चयन करते हैं उन्हें

मूक और गूंगे जानवरों की सेवा का बीड़ा उठाना पड़ता है। उसे शिष्टाचार और व्यावसायीकरण का आचरण अपनाना चाहिए जो उसके जीवन के सभी कार्य-कलापों में सुस्पष्ट होना चाहिए। पशु-चिकित्सक के लिए यह आवश्यक होगा कि उसे अपने व्यवसाय के सभी मामलों में संयमी, स्पष्ट और काम के प्रति सजग होना चाहिए उसे अपने दिमाग का तेजी और चुस्ती से इस्तेमाल करना होगा। उसे समर्पण और पूरी निष्ठा से सेवा करते हुए अपने ग्राहको (पशुओं के मालिकों) के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना होगा। चूंकि, पशु अपने दुख और बीमारियों के बारे में बता नहीं सकते, इसलिए पशु-चिकित्सक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विशेषज्ञ हो और उनकी बीमारियों के कारणों का निदान करने के लिए पशुओं के चलने-फिरने और उनके हाव-भाव के व्यवहार को समझने की विशेषज्ञता हो।

2. शैक्षणिक कार्यक्रम

पशु-चिकित्सा विज्ञान:

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव-विज्ञान विषय लेकर 10+2 पास करने के बाद, चिकित्सा विज्ञान की भांति पशु-चिकित्सा विज्ञान में डिग्री की जा सकती है। डिग्री पाठ्यक्रम में पशुओं की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक स्थिति, पशुओं के स्वास्थ्य बीमारी और उपचार तथा उत्पादन क्षमताओं को इष्टतम करने के लिए आवश्यक प्रजनन-पोषण एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक विषय शामिल होते हैं (अनुबंध-। में यथावर्णित)। पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी.वी.एस.सी.) या पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन (बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच.) में स्नातक इसकी प्रथम डिग्री है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री के शुरू में पारिभाषिक शब्द पशु पालन नहीं था किन्तु वास्तव में यह विषय पाठ्यक्रम का एक भाग है। स्नातकोत्तर और डॉक्टर (उपाधि) डिग्री स्तरों पर अधिकांश कालेजों द्वारा बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता विषयों का अध्ययन किया जाता है (विस्तृत जानकारी के लिए उदाहरण के तौर पर (अनुबंध-2) देखें)।

इस समय 27 विश्वविद्यालय/संस्थाएं हैं (अनुबंध-5 में देखें) जो पशु-चिकित्सा और पशु-विज्ञान में विभिन्न पाठ्क्रमों का आयोजन करते हैं। इनमें से चार विश्वविद्यालय यथा तमिलनाडू पशु-चिकित्सा और पशु-विज्ञान एवं पशु-पालन विश्वविद्यालय (चैन्नई) तथा पशु और मत्स्य पालन विज्ञान पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, (कोलकाता), महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर (एम.एस.) और पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु-चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय और गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश आदि विशेष रूप से पशु-विज्ञान क्षेत्र में अध्यापन से जुड़े हैं। अधिकांश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-विज्ञान कालेज, प्रथम डिग्री कार्यक्रम

के अलावा स्नातकोत्तर और डॉक्टर (उपाधि) डिग्री पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। परन्तु भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.) इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा एवं पशु-विज्ञान में केवल स्नातकोत्तर और डाक्टर (उपाधि) पाठ्यक्रम चलाता है जबकि एन.डी.आर.आई. पशु-विज्ञान के कुछ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है।

2 (क). स्नातक उपाधि कार्यक्रम

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा बी. वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. डिग्री पाठ्यक्रम में भारतीय पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित अखिल भारतीय प्री वैटरिनरी परीक्षा

पशु-चिकित्सा शिक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन पाठ्यक्रमों में स्नातकों के लिए पशु-चिकित्सा कालेजों में कुल सीटों की 15 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के कोटे के तहत लगभग 300 सीटें आती हैं। स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 5 शैक्षिक वर्ष हैं जिसमें से छः माह की अवधि के लिए अनिवार्यतः अंतरंग डॉक्टर की हैसियत से काम करना पड़ता है।

2.1 पात्रता :

निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करने वाला कोई भी आवेदक भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होता है।

(क) **राष्ट्रीयता** : वह जन्म या अधिवास से भारत का नागरिक हो।

(ख) **उम्र** : प्रवेश वर्ष की 31 दिसम्बर को उसकी उम्र सत्रह (17) वर्ष हो चुकी हो।

(ग) **अर्हता:** सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए चार अनिवार्य विषयों में अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान (कार्बनिक और अकार्बनिक) व जीव विज्ञान (वनस्पति एवं प्राणी-विज्ञान) तथा अंग्रेजी में पचास (50) प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए चालीस (40) प्रतिशत अंकों सहित 12 वर्षीय उच्च माध्यमिक परीक्षा पास कर ली हो।

2.2 आवेदन की प्रक्रिया

(क) आवेदन फार्म सहित सूचना बुलेटिन की प्रति उप-सचिव परीक्षा, परीक्षा नियंत्रक, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, ब्लाक-ए, दूसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) विवरणिका और आवेदन पत्र को किसी अनुसूचित बैंक से "भारतीय पशु चिकित्सा परिषद परीक्षा कोष" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करके अद्योलिखित स्थानों से दस्ती रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।

- कुल सचिव, अण्डमान एवं निकोबार केन्द्र शासित पशु चिकित्सा परिषद, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, हेडो, (पी.ओ.) पोर्ट ब्लेयर-744102
- कुल सचिव, केरल राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पेरुकाडा, पी.ओ. तिरुवन्तपुरम, केरल-695005
- कुल सचिव, मणिपुर राज्य पशु चिकित्सा परिषद, सांजेन योंग, इम्फाल-795001, मणिपुर
- कुल सचिव, मिजोरम राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, आइजोल-795001, मिजोरम
- कुल सचिव, नागालैण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, कोहिमा-751003, नागालैण्ड
- कुल सचिव, त्रिपुरा राज्य पशु चिकित्सा परिषद, अस्तबल पशु चिकित्सा परिसर, अगरतला-799001, त्रिपुरा

- कुल सचिव, सिक्किम राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, कृषि भवन, ताडोंग, सिक्किम-737602
- कुल सचिव, गोवा राज्य पशु चिकित्सा परिषद, मार्फत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, पशु संवर्धन भवन, पट्टी, पणजी-गोवा

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फार्म परिषद् द्वारा अधिसूचित तारीख को या उससे पहले उपर्युक्त पते पर भेजे जाएंगे।

2.3 अखिल भारतीय प्री वैटरिनरी टेस्ट की विषय सामग्री

अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा 3 (तीन घंटें) की होती है जिसमें एक परीक्षा पत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प और तार्किक योग्यता) के प्रश्न होंगे। अंकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

विषय		**कुल अंक**
भौतिक विज्ञान	:	60
रसायन विज्ञान	:	60
जीव विज्ञान (वनस्पति व प्राणी विज्ञान)	:	80
कुल	:	**200**

अखिल भारतीय प्री वैटरिनरी टेस्ट का सामान्य स्तर 10+2 स्कीम/प्री-मेडिकल/इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के तहत 12वीं कक्षा के स्तर का या किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा/सीबीएसई/स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की समकक्ष परीक्षा के स्तर के बराबर होगा।

2.4. प्रश्न पत्र की भाषा

प्रत्याशियों को दिए गए प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होंगे।

राज्यों के कोटे के अन्तर्गत पशु-चिकित्सा कालेजों में प्रवेश

पशु-चिकित्सा कालेजों में शेष 85 प्रतिशत प्रवेश उस राज्य विशेष के बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कुछ कालेज/ विश्वविद्यालय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा मैडीकल, दंतचिकित्सक (डैन्टल), इंजीनियरिंग, कृषि आदि के साथ-साथ एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं।

पात्रता

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता के.उ.शि.बो (सी.बी.एस.ई.) की 10+2 या भौ.र.ज.व. अंग्रेजी में इसके समकक्ष परीक्षा है। आरक्षण कोटे सहित अन्य पात्रता शर्तें राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है । राज्य के कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय का सूचना बुलेटिन देखाना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रति वर्ष राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी करते हैं।

2 (ख) स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम

1. स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान, केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान आदि में पशु-चिकित्सा सहित कृषि विज्ञान की सभी शाखाओं में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रमों में 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अखिल भारतीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किया जाता है।राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए सामान्य अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। संयुक्त परीक्षा का आयोजन पूरे देश में विभिन्न केन्द्रों पर किया जाता है ताकि कृषि, पशु-चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर उपाधि में बड़ी संख्या में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र इसमें भाग ले सकें।

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 475 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की भी व्यवस्था करती है। पशु-चिकित्सा एवं पशु-विज्ञान विषयों में लगभग 140 क.अ.अ. है। जो छात्र उस संस्था या विश्वविद्यालय, जहां से उसने स्नातक की उपाधि ली है, की अपेक्षा अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में प्रवेश लेने का विकल्प रखते हैं उन्हें योग्यता (मैरिट) के आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति दी जाती है, इस समय पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकों को अध्येतावृत्ति के रूप में प्रतिमाह 5000/-रु. प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 6000/-रु. की प्रासंगिक अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अपेक्षित अर्हता सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 60 प्रतिशत अंकों सहित या 60 प्रतिशत अंकों के बराबर ओवर आल ग्रेड प्वाइंट एवरेज (ओ.जी.पी.ए.) और

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत अंक या 50 प्रतिशत अंकों के बराबर ओवर आल ग्रेड प्वाइंट एवरेज (ओ.जी.पी.ए.) प्राप्त करते हुए स्नातक उपाधि है।

2.1 पात्रता

पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश हेतु प्रत्याशी को विश्वविद्यालयों में पंजीकरण की तारीख से पहले पशु-चिकित्सा एवं पशु-पालन विज्ञान में स्नातक पास होना चाहिए तथा इसमें उसकी इंटर्नशिप (अनिवार्य अंतरंग डॉक्टर) भी शामिल होनी चाहिए।

2.2 आरक्षण

कुल सीटों की 15 प्रतिशत (पन्द्रह प्रतिशत) सीटें अनुसूचित जाति एवं साढ़े सात प्रतिशत (7-1/2 प्रतिशत) सीटें अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। उपर्युक्त आरक्षण परिवर्तनीय है, अर्थात् यदि अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित सीटें भरी नहीं जाती हैं तो ये सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों से भरी जाएंगी और विलोमत: यह स्थिति लागू होगी। 3 (तीन) से कम सीटें होने पर आरक्षण रोस्टर सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। विधा/विषयवार सीटों की कुल संख्या, पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की संख्या के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 3 देखें।

2.3 शेष 75 प्रतिशत सीटों के लिए प्रवेश

शेष 75 प्रतिशत सीटों के लिए, पशु-चिकित्सा कालेजों में प्रवेश सदृश विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा अपने विहित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अधिसूचना जारी की जाती है। आवेदन पत्र का फार्म और विस्तृत सूचना बुलेटिन संबंधित कृषि/पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालय के रजिस्टार के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। पत्राचार के लिए विश्वविद्यालयों के पते अनुबंध -5 पर दिए गए हैं।

2 (ग) स्नातकोत्तर स्कीम

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122 उत्तर प्रदेश

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, ने पशु-चिकित्सा और पशु-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी के अंतरण की समर्पित सेवा के गौरवपूर्ण 119 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। अनुसंधान और शिक्षण के क्षेत्र में लम्बे और सतत योगदान को देखते हुए संस्थान को वर्ष 1983 में विश्वविद्यालयवत् (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत) का दर्जा दिया गया और इसका प्रथम शैक्षणिक सत्र जनवरी, 1985 में शुरू हुआ। संस्थान में समुचित उपस्करों वाली प्रयोगशाला, पशु-शाला और उच्चस्तरीय स्नातकोत्तर अनुसंधान संबंधी अन्य अवसंरचनाएं उपलब्ध हैं। संस्थान के पुस्तकालय, राष्ट्रीय पशु-चिकित्सा विज्ञान पुस्तकालय बड़े पैमाने पर पुस्तकों और विदेशी जर्नल/पत्रिकाओं के लिए अंशदान करता है जो अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पशु-चिकित्सा विज्ञान में विधा/विषयवार सीटों का विस्तृत विवरण अनुबंध-3 पर देखा जा सकता है।

विद्यावाचस्पति (पी.एच.डी.) में प्रवेश के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (विश्वविद्यालयवत्) अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी लिखित परीक्षा का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है।

परीक्षा केन्द्र: 1. इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) 2. बंगलौर (कर्नाटक) 3. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

विषयों का विवरण

1. पशु जीव-रसायन विज्ञान
2. पशु जैव-प्रौद्योगिकी
3. पशु आनुवंशिकी और प्रजनन
4. पशु-संपोषण
5. पशु शरीर विज्ञान
6. पक्षी रोग
7. पशु-प्रजनन एवं प्रबंधन
8. पशु प्रजनन प्रौद्योगिकी
9. कुक्कुट पालन विज्ञान
10. पशु-चिकित्सा जीवाणु-विज्ञान
11. पशु-चिकित्सा प्रसार शिक्षण
12. पशु-चिकित्सा प्रतिरक्षा विज्ञान
13. पशु-चिकित्सा स्त्रीरोग विज्ञान एवं प्रसूति विज्ञान
14. पशु-चिकित्सा परजीवी विज्ञान
15. पशु-चिकित्सा. रोग विज्ञान
16. पशु-चिकित्सा भेषजगुण विज्ञान
17. पशु-चिकित्सा औषधि
18. पशु-चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य
19. पशु-चिकित्सा शल्य चिकित्सा.
20. पशु-चिकित्सा वाइरस विज्ञान

पात्रता

1. सम्बद्ध विषय की पशु-चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या ओवरआल ग्रेड प्वाइंट 7.00/10.00 या समकक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 55 प्रतिशत अंक या ओवरआल ग्रेड प्वाइंट एवरेज 6.45/10.00 या समकक्ष। स्नातकोत्तर उपाधि की अंतिम परीक्षा में बैठ चुके प्रत्याशी भी प्रवेश के लिए अस्थाई रूप में आवेदन करने के पात्र है लेकिन साक्षात्कार के समय उन्हें अपनी पात्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान।

उम्र: प्रवेश वर्ष की 31 अगस्त को कम से कम 21 वर्ष।

आरक्षण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: पन्द्रह प्रतिशत (15%) सीटें और साढ़े सात प्रतिशत (7-1/2%) सीटें आरक्षित।

अध्येतावृत्ति: भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए चयनित प्रत्याशियों को तीन वर्ष के लिए 4400/-रु. प्रतिमाह अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है जिसे छः माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र सहित सूचना पुस्तिका 200/-रु. के नकद भुगतान द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित आई.सी.ए.आर., यूनिट आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर के पक्ष में 250/-रु. का क्रास किया बैंक ड्राफ्ट जारी करते हुए सहायक प्रशासन अधिकारी शैक्षणिक, आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर-243122 से अनुरोध करने पर डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।

3. अन्य संगत विषय क्षेत्र

पशु-चिकित्सा स्नातक निम्नलिखित क्षेत्रों का भी चयन कर सकते हैं जिनकी बहुत अधिक मांग है:-

1. डेरी विज्ञान/प्रौद्योगिकी, 2. कुक्कुट पालन विज्ञान और

3. जैव-प्रौद्योगिकी

3 (क) डेरी विज्ञान/प्रौद्योगिकी

डेरी प्रौद्योगिकी दूध के उत्पादन से लेकर इसके उपभोग तथा दूध के प्रबंधन की विधियों से संबंधित है। इनमें दूध का प्रक्रमण, भण्डारण, परिवहन और उपभोक्ताओं को इसका संवितरण शामिल होता है। जीव-रसायन विज्ञान, जीवाणु विज्ञान और पोषण विज्ञान के आधार पर डेरी प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी के सिद्धान्त लागू किए जाते हैं।

डेरी प्रौद्योगिकी में दूध और दूध से तैयार उत्पादों के प्रापण, प्रकमण और विपणन का काम किया जाता है। इस देश में डेरी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है, दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी बढ़ रही है। यद्यपि इस क्षेत्र में अधिकांश काम सहकारी एवं दुग्ध संघों (फेडरेशनों) द्वारा किया जाता है, तथापि, दूध के प्रापण, इसके प्रकमण व पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में कामकाज के लिए संगठनों के अन्दर प्रशिक्षित व्यावसायिकों के लिए काफी संभावनाएं हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में ऐसे उपक्रम हैं जो दूध तैयार करने के प्रकमण और इसके उत्पादों के विपणन जैसे पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट, दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ, शिशुओं के लिए दूध के खाद्य पदार्थ और ऐसे ही अन्य उत्पादों का कामकाज कर रहे हैं। इससे डेरी उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और

अंग्रेजी विषयों के साथ + 2 करने के बाद डेरी उद्योग में बी.टैक या डी.टी. में बी.एस.सी. की जा सकती है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। डेरी प्रौद्योगिकी में पढ़ाए जाने वाले विषयों में डेरी इंजीनियरी के विषय शामिल होते हैं। जो इन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं: उत्पादन प्रक्रमण, उत्पादन की संरचना से संबंधित डेरी रसायन विज्ञान, अनुसंधान और जैव-प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों से संबंधित डेरी जीवाणु विज्ञान गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाने वाला । इस पाठ्यक्रम में डेरी संयत्रों तथा प्रक्रमण उद्योगों के प्रबंधन में और वित्तीय प्रबंधन में निवेश शामिल हैं।

विविधि डेरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा डेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, कुछ कृषि कालेज, जैसे पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन कालेज, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में भी विविध डेरी प्रौद्योगिकी और पशु-पालन में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्क्रमों का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) द्वारा आयोजित
पाठ्यक्रम : एम.एस.सी. डेरी

क्र.सं.	विषय	पात्रता
1.	पशु (आनुवंशिकी) प्रजनन	बी.एस.सी.डी. (डी.एच.), बी.एस.सी. (पशु-विज्ञान), बी.वी.एस.सी., बी.एस.सी. (कृषि पशु-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में)
2.	पशु प्रजनन और प्रबंधन	बी.एस.सी. (डी.), (डी.एच.) बी.वी.एस.सी., बी.एस.सी. (पशु विज्ञान) बी.एस.सी. (कृषि) (पशु विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में)
3.	पशु आहार	बी.एस.सी. डेरी उद्योग, (डी.एच.),

क्र.सं.	विषय	पात्रता
		बी.वी.एस.सी., बी.एस.सी. (पशु-विज्ञान), बी.एस.सी. (शरीर विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान)
4.	पशु शरीर विज्ञान	बी.एस.सी. डेरी उद्योग (डी.एच.) बी.वी.एस.सी., बी.एस.सी. (पशु विज्ञान), बी.एस.सी. (शरीर विज्ञान/जीव विज्ञान/ प्राणी विज्ञान/जीव रसायन/रसायन विज्ञान)
5.	पशु जीव रसायन	बी.एस.सी. डेरी विज्ञान, बी.एस.सी. (डी.) (डी.टी./डी.एच.), बी.वी.एस.सी., बी.एस.सी. (आर्नस) जीव रसायन विज्ञान, बी.एस.सी., पी.सी.एम., बी.एस.सी., सी.बी.जैड
6.	डेरी अर्थशास्त्र	बी.एस.सी. डेरी उद्योग, बी.एस.सी. (डी.) (डी.टी./डी.एच.) बी.एस.सी. (कृषि), बी.वी.एस.सी
7.	डेरी विस्तार	बी.एस.सी. डेरी उद्योग, बी.एस.सी. (डी.) (डी.टी./डी.एच.) बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) बी.एस.सी. (कृषि), बी.वी.एस.सी.

जिन प्रत्याशियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत औसत या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जी.पी.ए) अंक प्राप्त किए हों केवल वही इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान बंगलौर द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम

डेरी अनुसंधान में गुणवत्ता नियंत्रण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

पात्रता : 1.डेरी उद्योग 2. पशु-विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक

जिन प्रत्याशियों ने स्नातक की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत औसत अंक या जी.पी.ए. में समान अंक प्राप्त किए हैं केवल वे ही परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं।

3 (ख) कुक्कुट (मुर्गी) विज्ञान

पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुक्कुट विज्ञान को विशेषज्ञता के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय कुक्कुट उद्योग में 1,00,000 से अधिक कुक्कुट कृषक लगे हुए हैं, प्रतिवर्ष 30 अरब अन्डों का उत्पादन होता है। विश्व में अण्डा उत्पादक देशों में भारत का पाँचवा स्थान है और अण्डा उत्पादन में प्रतिवर्ष 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। भारत में व्यवसाय के तौर पर कुक्कुट पालन की बढ़ती लोकप्रियता में कई कारकों का योगदान रहा है। प्रथम कारक है सस्ते प्रोटीन युक्त आहार की मांग में वृद्धि जो अंडों और मुर्गी से मिलता है। कुक्कुट पालन की लोकप्रियता का दूसरा कारण यह है कि इसके लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है और इसके रखरखाव की लागत भी कम होती है। इसके अतिरिक्त, चूज़े किसी भी स्थिति के अनुकूल हो जाते हैं और इसी कारण इस व्यापार में बड़ा मुनाफ होता है।

निम्नलिखित तीन प्रकार के कुक्कुट फार्म होते हैं प्रत्येक के खरीददार लग-अलग वर्ग के होते हैं।

1. प्रजनक (ब्रीडिंग) फार्म 2. ब्रॉयलर फार्म, 3. अंडे पैदा करने वाले फार्म र फार्म)

1. प्रजनक फार्म: वे अंडे उत्पादन करते हैं और अन्य किसानों को बेचने ए कुक्कुट तैयार करते हैं।

ब्रॉयलर फार्म : वे चूज़ों के विपणन के लिए उनके प्रजनन (पालन-पोषण)

की व्यवस्था और चूज़ों की खरीददारी करते हैं। एक दिन की उम्र के चूजों की खरीददारी की जाती है और छः सप्ताह तक उनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है। ब्रॉयलर-पालन में प्रारंभिक निवेश कम होता है जबकि फायदा अधिक होता है। लेकिन चूज़ों की देखभाल के काम में बेहद मेहनत करनी पड़ती है।

3. अंडे पैदा करने वाले फॉर्म (लेयर फार्म):

एक दिन की उम्र के हल्की नस्ल के चूज़ों का पांच या छः महीनों तक पालन-पोषण किया जाता है उसके बाद ये चूज़े अंडे देने शुरू कर देते हैं। अंडों के लिए एक वर्ष तक उनका पालन-पोषण किया जाता है, उसके बाद उन्हें हलाल किया जाता है। हालांकि इस कार्य में शुरू में ब्रायॅलर फार्म की अपेक्षा अधिक निवेश किया जाता है, और धन की वापसी धीरे-धीरे होती है, तथापि लेयर फार्मिंग में कम श्रम की जरूरत पड़ती है। इस फार्मिंग में आठ सप्ताह की प्रजनन अवधि अपेक्षाकृत कठिन समय होता है।

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन पाठ्यक्रम में कुक्कुट विज्ञान अध्ययन का एक विषय होता है। मुंबई, भुवनेश्वर, हैस्सरघाट और चण्डीगढ़ में केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म में ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा अंडों के अधिक उत्पादन, संकर किस्म के लिए और तेजी से बढ़ रहे ब्रॉयलर फार्म से जुड़े तनाव के कारण (स्ट्रेस) और ये पेरेंट चिक स्टाक की आपूर्ति आदि से संबंधित हैं। लगभग सभी कालेजों और पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर (पशु-चिकित्सा स्नातकोत्तर) पर भी इस विषय का अध्ययन किया जाता है। इनके अतिरिक्त भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कुक्कुट विज्ञान और कुक्कुट रोश में स्नातकोत्तर एवं डाक्टोरल (उपाधि) स्तर के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं।

3(ग) जैव प्रौद्योगिकी

पशु-चिकित्सा विज्ञान स्नातक, यदि चाहे तो हाल ही में विकसित शाखा में अपना भविष्य बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते

हैं। अंतर विधा विषय होने के नाते जैव प्रौद्योगिकी विषय में आणविक जीव विज्ञान, ऊतक संवर्धन, कृषि इंजीनियरी मत्स्य पालन, आनुवंशिकी औषधि के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन शामिल होते हैं।

कुछ विश्वविद्यालयों ने जैव प्रौद्योगिकी के अलग स्कूलों की स्थापना की है यथा बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित सूक्ष्म जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय (चण्डीगढ़) में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र आदि। भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (करनाल), चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु पशु-चिकित्सा एवं पशु-विज्ञान विश्वविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उत्तरांचल), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर और कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदाबाद में पशु जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है। ज्यादातर अन्य राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय भी जैव प्रौद्योगिकी के विषय में शिक्षण और अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जैव प्रौद्योगिकी)

प्रतिभागी विश्वविद्यालयों की ओर से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक संयुक्त जैव प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

1.(क) **एम.एस.सी. जैव प्रौद्योगिकी** में प्रवेश के लिए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा, भारत में 42 केन्द्रों पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए 30 विश्वविद्यालयों ने (विवरण अनुबंध 8 पर देखें) जिन्होंने (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग से) डी.बी.टी. की सहायता प्राप्त की है, जो निम्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित करता है। पाठ्यक्रमों के नाम, पात्रता एवं अन्य सूचना अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई है:

तालिका

पाठ्यक्रमों के नाम, पात्रता, अवधि को दर्शाने वाली तालिका

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि	टिप्पणियां
1.	ज.ला.वि.वि. की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम.एस.सी. जैव-प्रौद्योगिकी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 55% अंक लेकर पशु-चिकित्सा शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न के तहत, स्नातक की उपाधि	2 वर्ष	भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग से समर्थन प्राप्त भागीदार विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए चयनित प्रत्याशी छात्रवृत्ति के सामान्य पात्र होते हैं आरक्षण: अनु.जा./अनु.जनजाति और विकलांग वर्ग के प्रत्याशियों के लिए क्रमश: 15%, 7-½% और 3% सीटें होती हैं
2.	एम.एस.सी. कृषि/ पशु-चिकित्सा/ वानिकी (जैव-प्रौद्योगिकी)	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंक लेकर पशु-चिकित्सा विज्ञान में 10+2+4/5 पैटर्न के तहत स्नातक की उपाधि/ अर्हक परीक्षा पास करने वाले सभी अनु.जा./अनु. जनजाति/ विकलांग प्रत्याशी पात्र होंगे।		बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
3.	जैव-प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि	60% अंक लेकर एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी.(ऑनर्स) प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, आनुवंशिकी	2 वर्ष	यह कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि	टिप्पणियां
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम.एस.सी. (जैव-प्रौद्योगिकी)	कम से कम 55% अंक लेकर राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के छात्रों के लिए 50% और (राजस्थान राज्य के अनु.जा./अनु.जनजाति/ अ.पि.व. के मामले में 50%,) पशु-चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व प्राणी विज्ञान में 10+2+3 स्कीम के तहत स्नातक उपाधि	2 वर्ष	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजस्थान में जैव प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम का शिक्षण देने वाले संस्थान। 1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2. एम.एल. सुखाडिया विश्व विद्यालय, उदयपुर 3. महात्मा गांधी अनुप्रयुक्त विज्ञान (एपलाइड) संस्थान टॉक रोड, जयपुर 4. महात्मा ज्योती रॉव फोडे पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर 5. इंडिया इंटरनेशनल कालेज फार गर्ल्स, जयपुर और 6. सीडलिंग अकादमी ऑफ डिजाइन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर
5.	पशु-चिकित्सा विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी निष्णात कार्यक्रम	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों से पशु-चिकित्सा विज्ञान में 10+2+4/5 शिक्षण		इस कार्यक्रम का आयोजन जी.बी. पंत विश्वविद्यालय कृषि और प्रौद्योगिकी, पंत नगर द्वारा किया जाता है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि	टिप्पणियां
		पैटर्न के तहत स्नातक की उपाधि/अर्हक परीक्षा पास सभी अनु.जा./अनु.ज.जा./ एवं विकलांग प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे।		

राष्ट्रीय संस्थान (भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान) सहित कुछ एस.ए.यू. में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है।

जैव-आसूचना विज्ञान (बायो इंफोर्मेटिक्स)

जैवीय सूचना संबंधी कार्य के लिए कम्प्यूटर का किसी भी प्रकार का उपयोग जैव-आसूचना के अंतर्गत आता है। यह उस जैविक सूचना का अध्ययन है जो जीनोम में भण्डारण साइट से कोशिका में विभिन्न जीन प्रवर्धनों से गुजरती है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में जैव-आसूचना विज्ञान (बायो इंफोर्मेटिक्स) का महत्व जीनोम सिक्वैसिंग औषधीय प्रोजेक्ट में उद्योगजगत की रुचि के कारण बढ़ता जा रहा है। जो इस विषय का प्रमुख घटक है। बायो इंफोर्मेटिक्स एक ऐसे विषय के रूप में स्थापित हो रहा है जिसकी अनेक विद्याशाखाएं हैं जिनमें जैव-प्रौद्योगिकी एवं जैव विज्ञानी विषयों में अनुप्रयुक्त सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित हैं। बायो इंफोर्मेटिक्स में डाटा बेस सृजन, डाटा प्रबंधन, डाटा भंडारण, डाटा माइनिंग एवं अंतरराष्ट्रीय संचार नैटवर्क के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रकार्यात्मक जिनोकिक्स, जैव अणु संरचना, प्रोटीन विश्लेषण, कोशिका कायांतरण, जैव-विविधता, रसायन इंजीनियरी अनुप्रवाह प्रक्रमण, औषध तैयार करना,, वैक्सीन तैयार आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बायो इंफोर्मेटिक्स एक अभिन्न घटक है। बायो इंफोर्मेटिक्स में पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाले संस्थानों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका

पाठ्यक्रमों के नाम, पात्रता, अवधि एवं संस्थानों के नाम दर्शाने वाली तालिका

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का क्षेत्र	पात्रता	अवधि	संस्था का नाम जहां पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है
1.	बायो इंफोर्मेटिक्स में उच्च डिप्लोमा (20 सीटें)	बायो इंफोर्मेटिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंक या 'ए' ग्रेड (न्यूतम संचयी ग्रेड प्वाइंट एवरेज) सी.जी.पी.ए. में 0. 10 स्केल में 6.0 का ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रथम श्रेणी में एम.बी.बी.एस. या विज्ञान संकाय की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री, एम.वी. साइंस, एम.एस.सी (कृषि) एम् फॉर्मा, एम.डी., एम.ई., एम.सी.ए., बी.ई., बी.टैक, महाराष्ट्र के आरक्षित वर्ग के छात्रों के मामले में इस अपेक्षा में छूट इस प्रकार दी गई है: कम से कम 55% अंकों सहित दूसरी श्रेणी या बी. ग्रेड (5.5) का न्यूनतम सी.जी.पी.ए.	एक वर्ष (दो सत्र)	बायो-इंफोर्मेटिक सेंटर (बी.आई.सी) पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007
2.	बायो इंफोर्मेटिक एस.एस.सी (20 सीटें)	बायो इंफोर्मेटिक	प्रथम श्रेणी कम से कम 60% या ए ग्रेड (0.10 के स्केल में कम से कम 6 ग्रेड का सी.जी.पी.ए.) प्राप्त करते हुए विज्ञान, कृषि, कम्प्यूटर विज्ञान/	2 वर्ष	बायो इंफॉर्मैटिक सेन्टर (बी आई सी) पुणे

		इंजीनियरी, चिकित्सा व. पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि		विश्वविद्यालय, पुणे-411007
3. बायो इंफोर्मैटिक में उच्च (पी.जी. डिप्लोमा)	बायो इंफोर्मैटिक	कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते हुए 10वीं तक गणित सहित जैविक विज्ञान यथा किसी भी शाखा जैव-रसायन, जैव-भौतिकी, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान, में एम.एस.सी., एम.बी.बी.एस	एक वर्ष	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
4. बायो इंफोमेटिक में उच्च डिप्लोमा	बायो इंफॉर्मैटिक	किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या जीवन विज्ञान या कम्प्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी एम.एस.सी. की उपाधि या एम.टैक या एम.बी.बी.एस.	एक वर्ष	बायो इंफॉर्मैटिक सेन्टर, स्कूल ऑफ बायो टैक्नोलॉजी, कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै-625021
5. बायो इंफॉर्मैटिक स्नाकोत्तर (पी.जी.) डिप्लोमा	बायो इंफॉर्मैटिक	बी.एस.सी./बी.ई./बी.टैक./ एम.एस.सी./एम.बी.बी.एस./ एमडी./एम.सी.ए./एम.फॉर्मा बी.डी.एस./ बी.पी.टी./ बी.फार्म/ बी.वी. साईंस	6 माह	एस.आई. एस.आई. भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय, चैन्नई, 65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी

नोट- इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी अलग विवरणिका प्रवेश हेतु जारी की जाती है।

4. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद, गुजरात

भारत सरकार के सक्रिय समर्थन से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद की स्थापना गुजरात के कैरिया जिले के आनंद में की गई थी।

ग्रामीण विपणन में कार्यक्रम

यह संस्थान ग्रामीण प्रबंधन में दो वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। ग्रामीण उत्पादक संगठनों से जुड़े प्रबंधन उत्तरदायित्वों में भविष्य निर्माण के लिए उत्कृष्ट युवा पुरुषों और महिलाओं को तैयार करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसलिए यह कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों और संबद्ध संगठनों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए बेहतरीन कौशल और आवश्यक दायित्वों की शिक्षा की व्यवस्था करता है।

ग्रामीण प्रबंधन कार्यक्रम की रूपरेखा

ग्रामीण प्रबंधन पाठ्यक्रम में वैचारिक और व्यावहारिक, दोनों स्तरों पर सुदृढ़ ग्रामीण प्रभावों पर जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में 3 अलग-अलग किन्तु सहयोगी घटक शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि 85 सप्ताह की है। ये तीन घटक इस प्रकार है: क्लास घटक, फील्ड वर्क घटक और प्रबंधन प्रशिक्षण घटक ।

पात्रता:

किसी भी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें कुल 50% अंक प्राप्त किए हों एवं कम से कम 15 वर्ष (10+2+3) प्रणाली में शिक्षा प्राप्त की हो (अ.जा./अं.ज.जा./अशक्त व्यक्तियों के लिए 45%) वे आवेदन कर सकते हैं।

प्राप्त कुल अंकों की प्रतिशतता उस विश्व विद्यालालय/संस्था में चल रही पद्धति के अनुसार गणना की जाएगी, वे प्रत्याशी जो कि अंतिम वर्ष में हैं और प्रवेश परीक्षा से पहले प्रात्रता की शर्तें पूरी करते हों वे भी आवेदन कर सकते हैं।

चयन: सभी पात्र अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। (जो कि चार खण्डों में होगी एवं 200 अंकों) की होगी।

1. विश्लेषणात्मक	:	(50 अंक)
2. संख्यात्मक क्षमता	:	(50 अंक)
3. अंग्रेजी अवधारणा	:	(40 अंक)
4. सामाजिक महत्व के मुद्दे	:	(60 अंक)

लिखित परीक्षा की योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यार्थी का समूह विवेचन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा, समूह विवेचन एवं व्यक्गित साक्षात्कार के आधार पर की अंतिम वय किया जाएगा।

सीटें: PRM -, 2008-10 के लिए कुल 90 सीटें उपलब्ध हैं।

नौकरी : ग्रामीण प्रबंधन स्नातकों को नौकरी की व्यापक संभावनाएं हैं। यह नौकरियां योजना एवं सूचना पद्धति, उत्पादन प्रबंधन, विपणन, वित्त, लेखा, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में हो सकती है।

टिप्पणी:- अधिक जानकारी व परिवर्तनों के लिए यदि कोई हों, तो कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

निदेशक,
ग्रामीण प्रबंधन संस्थान,
पो.आ. - बाक्स सं. - 60,
आनंद (गुजरात)-388001

5. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान

(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)

राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030, आंध्र प्रदेश, भारत

पाठ्यक्रम

(क) कृषि व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम होने के कारण, अपनी स्थापना से ही 100% नौकरियों की संभावना के कारण प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का ध्यान इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुआ है।

अवधि: 2 वर्ष

(ख) कृषि माल गोदाम तथा पूर्ति प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम:-

अवधि: एक वर्ष (चार ट्राइमैस्टर)

पात्रता: इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता कम से कम द्वितीय श्रेणी में चार वर्षीय स्नातक या आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि तथा संबद्ध विषय, पशु-चिकित्सा, डेरी प्रौद्योगिकी, फूड प्रौद्योगिकी में समकक्ष (ओ.जी.पी.ए.) है।

- वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी स्नातक डिग्री पूरी नहीं की है वे भी आवेदन कर सकते हैं
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान

चयन प्रक्रिया

प्रत्याशियों की भर्ती के लिए बहु प्रकम वाली चयन पद्धति का अनुसरण किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रश्न होंगे।

- कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी (के.ए.टी.)

प्रबंधन अभिक्षमता परिक्षण (एम.ए.टी.)

वे प्रत्याशी जो लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें समूह चर्चा तथा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

आरक्षण प्रवेश के लिए अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विकलांग /अशक्त प्रत्याशियों के भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

6. अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान,

110, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700073

पाठ्यक्रम: पशु-चिकित्सा लोक स्वास्थ्य निष्णात

अवधि: दो शैक्षिणक वर्ष

पात्रता: कलकत्ता विश्वविद्यालय से या कलकत्ता विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन में उपाधि। केन्द्रीय/राज्य सरकार या अन्य मान्यता प्राप्त निकायों से प्रतिनियुक्त अथवा पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष के अनुभव वाले प्रत्याशियों को अधिमान दिया जाएगा।

7. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

रामलिंगास्वामी भवन, अंसारी रोड़,
पोस्ट बाक्स नं. 4911, नई दिल्ली-110029

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए परीक्षा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, पी.जी.आई.एम.ई.आर.चण्डीगढ़ के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय प्रत्याशियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन करेगी।

कुल 100 अध्येतावृत्तियों प्रदान की जाएंगी। 80 अध्येतावृत्ति जीवन विज्ञान के विषयों (सूक्ष्मजीव विज्ञान, पशु-चिकित्सा विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, शरीर विज्ञान, अणु जैव विज्ञान आदि) के लिए प्रदान की जाएंगी।

पात्रता: उपर्युक्त विषयों में सामान्य/अ.पि.जा. के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम 55% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग प्रत्याशियों के लिए 50% अंकों से एम.एस.सी./एम.ए. या समकक्ष डिग्री।

आयु सीमा: पात्रता परीक्षा में प्रवेश लेने की आयु 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग महिला प्रत्याशियों के मामले में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

8. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान,

अरुणा आसफ अली मार्ग,
नई दिल्ली-110067

जैविक और सम्बद्ध विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश

यह संस्थान जीव विज्ञान और सम्बद्ध विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस संस्थान में भौतिक-रसायनिक से लेकर शरीर क्रियात्मक पद्धतियों जैसे व्यापक और विविध क्षेत्रों में अति आधुनिक अनुसंधान किए जाते हैं। जिन्हें मुख्यत: चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्रतिरक्षा और संक्रमण 2. जनन और विकास 3. अणु डिजाइन और 4. जीन विनियमन

न्यूनतम योग्यता :

1. विज्ञान की किसी भी शाखा में एम.एस.सी. या एम. टैक या एम.बी.बी.एस. या एम.वी., एस.सी., या एम फार्मा या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री।

2. सीनियर सैकेंड्री प्रमाणपत्र (10 + 2) और इससे आगे की सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड या कम से कम 60 प्रतिशत औसत अंक।

3. प्रवेश वर्ष के दौरान अर्हक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते बाद में वे उपर्युक्त सभी शेष योग्यताएं पूरी कर ले तब तक उनकी उम्मीदवारी अस्थायी रहेगी आरक्षण सांविधिक मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा।

4. आरक्षण सांविधिक मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :

1. न्यूनतम योग्यताएं पूरी करने वाले प्रत्याशियों को उनके अपने खर्च पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रवेश परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य बोध, विश्लेषण और तक सम्बन्धित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित प्रत्याशियों को तत्काल सूचित किया जाएगा और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

3. साक्षात्कार के बाद चयनिक प्रत्याशियों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सम्बद्ध है, में पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए नाम दर्ज किया जाएगा।

4. जिन प्रत्याशियों को सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी., एन.ई.टी./ आई.सी.एम.आर./ आई.सी.ए.आर. के माध्यम से अध्येतावृत्ति वजीफ़ा दिया जाता है वे उसे वहीं से प्राप्त करेंगे जिन प्रत्याशियों को अभी अर्हता प्राप्त करनी है संस्थान उन प्रत्याशियों को समकक्ष अध्येतावृत्ति वजीफ़ा प्रदान करेगा।

पी.एच.डी. कार्यक्रम

1. अनुरोध किए जाने पर सहभागिता आधार पर हॉस्टल में आवास की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. शोध प्रबंध कार्य के लिए गाइड का चयन पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही किया जाएगा और पाठ्यक्रम कार्य में योग्यता के आधार पर प्रोजेक्ट संबंधी विकल्प उपलब्ध होंगे।

9. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)

नजदीक सांगनेर, कोटा रोड, जयपुर

पाठ्यक्रम: कृषि-व्यापार प्रबंधन में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

एन.आई.ए.एस. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो भारत में कृषि विपणन का शीर्ष संस्थान है, कृषि व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। 100 प्रतिशत नौकरी की संभावना के कारण इस कार्यक्रम की ओर प्रसिद्ध राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ध्यानाकर्षित हुआ है। इस बहुआयामी डाइनामिक अभिनव कार्यक्रम में अति अद्यतन प्रवृत्तियां और परिवर्तन, अति आधुनिक वातावरण में कड़ी मेहनत से पूरे किए जाने वाले कार्यभार (असाइन्मेंट) शामिल होते हैं, जिनसे विशिष्ट ज्ञान के अनुभव प्राप्त होते हैं।

पात्रता: यदि आप आई.सी.ए.पी./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंकों से कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य विषयों और पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक हैं तो आप प्रवेश के योग्य पात्र हैं। यदि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

परीक्षा: चयन के लिए एक या अधिक केन्द्रों पर कम्प्यूटर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

आरक्षण: प्रवेश के लिए अन्य शर्तें पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग छात्रों/अशक्त प्रत्याशियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

10. कृषि व्यापार प्रबंधन संस्थान

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

पाठ्यक्रम- एम.बी.ए. (कृषि व्यापार)

इस संस्थान की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई । कृषि व्यापार प्रबंधन संस्थान निवेश आपूर्ति उद्योग, खाद्य उद्योग, उद्यान-विज्ञान उद्योग और पशु उद्योग में विशेषज्ञता वाले 2 वर्षीय एम.बी.ए. (कृषि व्यापार) कार्यक्रम का आयोजन करता है।

औद्योगिक अंतरापृष्ठ

अतिथि संकाय, प्रोजेक्ट और नियुक्ति के लिए कुछ कम्पनियां और संगठन जो इस संस्थान के सहयोगी हैं, उन का विवरण इस प्रकार है; अंकुर सीड्स, सी.ई.बी.ई.सी.ओ (CEBECO), चम्बल फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स, डाबर इंडिया, धनुक्का पैस्टीसाइड्स,जी.एस.एफ.सी. (GSFC), इफ्को, इंडो ब्लूम, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, इंटरनेशनल पेनेशिया, कृभको, मिल्कफैड, नागार्जुन फर्टीलाइजर्स, नामधारी सीड्स, नैस्ले इंडिया, नॅनहेम्स प्रैसिएंट टैक्नोलॉजी, प्रोएग्रो, आर.सी.एफ., (RCF) आर.सी.डी.एफ., (RCDF), आर.एन.जेड (RNZ), सीमिनिस, बायोसीड्स, सनबलोस्म, टैक्सैक्स आर्गेनिक्स, टोकिटा सीड्स एंड जौरी आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत) लेकर कृषि या कृषि से संबंधित विषयों (पशु-चिकित्सा विज्ञान/ कृषि इंजीनियरी, डेरीविज्ञान, डेरी प्रौद्योगिकी, मत्स्य, खाद्य विज्ञान, आदि में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि वाले भारतीय नागरिक जिनकी आयु 30 वर्ष से कम हो, आवेदन करने के पात्र हैं। अंतिम

वर्ष की परीक्षा में भाग ले रहे प्रत्याशी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे उपाधि से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करते हों।

चयन प्रक्रिया चयन लिखित प्रवेश परीक्षा (आर.ए.यू.एम.ए.टी.) सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा राऊमैट (RAUMAT) में कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि की जानकारी, अंग्रेजी बोध, समस्या-हल, तार्किक और डाटा निर्वचन से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

सीटों की कुल संख्या 30 हैं- जिसमें से 5 सीटों पर एन.आर.आई. (NRI)उद्योगों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि वे विहित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों। एन.आर.आई./उद्योगों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि उन्हें निर्दिष्ट तारीख/तारीखों को सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। एक सीट कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग छात्रों और लड़कियों को आरक्षण राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार दिया जाएगा। कुल सीटों की 40 प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध होंगी।

परीक्षा केन्द्र : बीकानेर, जयपुर और नई दिल्ली

प्रत्याशियों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्र का विकल्प दिया जाएगा।

11. पशु-चिकित्सा स्नातकों के लिए कैरियर संभावनाएं

मुख्य कार्य क्षेत्र

1. अस्पताल
2. राज्य सरकार
3. केन्द्रीयकृत क्षेत्र (सेक्टर)
4. स्थानीय निकाय/नगर पालिकाएं/ पंचायत
5. विस्तार अधिकारी
6. बैंकिंग क्षेत्र (सेक्टर)
7. औषधीय कम्पनियां
8. शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9. बीमा
10. वन्य जीवन एवं पर्यावरण
11. कुक्कुट पालन
12. डेरी क्षेत्र (सेक्टर)
13. पशु पालन
14. स्वरोजगार

1. अस्पताल

शहरों में पशु-चिकित्सा अस्पतालों में नियोजित पशु-चिकित्सा सर्जन मुख्य रूप से पालतू पशुओं के उपचार का कामकाज करते हैं। लेकिन सरकारी सेवा में तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है जहां पर उन्हें पशुओं, भेड़ों, बकरियों, घोड़ों और कुक्कुट आदि के उपचार का कार्य भी करना होता है।

2. राज्य सरकार

1. पशु-चिकित्सा अस्पताल/प्राथमिक पशु-चिकित्सा केन्द्र।
2. पशुधन पालन प्रबंधन के लिए संगठित राज्य फार्म।
3. शुक्र बैंक/शुक्राणु स्टेशन- जहां बढ़िया नस्ल के साँड रखे जाते हैं।
4. कुक्कुट पालन-अंडा (एग) फॉर्म, अंडज उत्पत्तिशाला, चूजों का पालन पोषण करने वाली इकाइयां।
5. गोश्त/दूध संसाधन संयंत्र - स्वास्थ संचयन एवं दूध संवितरण के लिए पर्यवेक्षण।
6. पॉलिक्लिनिक जहाँ पर सर्जरी, विशेष निदान-शस्त्र, विशेषीकृत उपचार आदि जैसी विशेष सेवाएं दी जाती हैं।
7. रोग जांच केन्द्र-रोग प्रोफाइल सर्वेक्षण और किसी मुख्य रोग के फैलने की जांच करना।
8. जैव प्रजनन या टीकाकरण संस्थाएं-गुणवत्ता नियंत्रण करना एवं वैकसिन एवं जैव उत्पादों का संवितरण।
9. रोग उन्मूलन स्कीमों/जांच केन्द्र/टीकाकरण कैंप।
10. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं- पशुओं से मनुष्यों और विलोमतः संक्रमित होने वाले रोगों की जांच।

3. केन्द्रीयकृत क्षेत्र

(क) सेना (रीमाउन्ड पशु-चिकित्सा टुकड़ी) सैन्य बलों में घोड़ों, कुत्तों और ऊंटों आदि को प्रशिक्षित करना और उनकी देखभाल करना।

(ख) सीमा सुरक्षा बल/पुलिस-सैन्य बलों में घोड़ों, कुत्तों ऊंटों आदि की देखभाल।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् - पशु आधारित अनुसंधान का समन्वयन और निधीयन।

(घ) पशु-पालन एवं डेरी उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय, पशु-चिकित्सा सेवाओं का प्रशासनिक प्रबंधन और समन्वयन।

(ङ) संगरोधन यूनिट- ये आंतरिक जांच केन्द्र होते हैं जो विदेशागत बीमारी जैसे मैड काऊ रोग कुक्कुट इंफ्लुएंजा आदि की रोकथाम करते हैं।

(च) केन्द्रीय फॉर्म- ये फॉर्म राज्य फॉर्मों या शुक्राणु केन्द्रों जैसे ही होते हैं, वे प्रशिक्षण आदि का आयोजन करते हैं।

4. स्थानीय निकाय/ नगरपालिका/पंचायत

(क) बूचड़खानें/पशु अवरोधशालाएं/लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं

(ख) चिड़ियाघरों एवं वन्यजीव केन्द्र

(ग) पंचायतीराज के अंतर्गत पशु संसाधन विकास

5. विस्तार अधिकारी

खंड (ब्लॉक) स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के लिए पशु-चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, अर्थात् पशुधन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पशु-चिकित्सक पशु पालक किसानों को शिक्षित और उत्साहित करते हैं। वे पशुपालन प्रबंधक और पशु स्वास्थ्य संबंधित कठिनाईयों के बारे में किसानों को सलाह देते हैं।

कम से कम एक विस्तार अधिकारी प्रत्येक खंड (ब्लॉक) स्तर पर किसी भी सूचनीय रोग, रोग निरीक्षण एवं निगरानी, पशु स्वास्थ्य योजनाओं के पर्यवेक्षण और अन्य पशुपालन कार्यक्रमों के नियंत्रण और उन्मूलन का काम करता है।

6. बैंकिंग क्षेत्र (सेक्टर)

पशु-चिकित्सक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी बैंकिंग सेक्टर में कृषि अधिकारी के रूप में रोजगार पाते हैं।

7. औषधीय कम्पनियाँ

पशु-चिकित्सकों की, औषधीय कम्पनियों के अनुसंधान एवं विकास विंग में नियुक्तियाँ होती हैं। जहां पर वे वैक्सीन के उत्पादन या पशु-आहार व उर्वरकों का कामकाज देखते हैं।

8. शैक्षणिक एवं अनुसंधान

पशु-चिकित्सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों या पशु कल्याण सोसाइटियों में काम कर सकते हैं। जिनके पास पशु-चिकित्सा विज्ञान में विद्यावाचस्पति पी.एच.डी. की उपाधि हो, वे पशु-चिकित्सा कालेजों में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्ति पा सकते हैं।

पशु-चिकित्सक निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान का काम कर सकता है:

1. औषधीय उत्पादों/जैव उत्पादों के क्षेत्र में
2. पशुधन पोषण/आहार
3. पशु रोगों का निवारण एवं नियंत्रण।
4. पशु के टीकाकरण के क्षेत्र में।
5. पशु स्वास्थ्य के संबंध में पोषण संबंधी आधुनिक इनपुट।
6. पशु आनुवंशिकी, प्रजनन के क्षेत्र में।
7. पशु रोग विज्ञान आदि के क्षेत्र में।

भारत में पशु विज्ञान से संबंधित विधि अनुसंधान संस्थानों की सूची के लिए कृपया (अनुबंध 10) देखें।

9. बीमा

फॉर्म पशुओं की बीमा करने के लिए, निपटान एवं अन्य सम्बन्धित मामलों के दावों के कामकाज के लिए बीमा कम्पनियों में भी पशु चिकित्सकों को रोजगार मिलता है।

10. वन्य जीवन एवं पर्यावरण

पशु-चिकित्सक वन्य पशुओं के कैपटिव प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, विशेषकर उन पशुओं के मामले में जिनके विलुप्त होने की संभावना हो। उन्हें शमक औषधियों की सहायता देना और पिंजरों में रखा जाता है और बाद में उन्हें उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बलपूर्वक प्रजनित कराया जाता है। इससे परिस्थिति का संतुलन बना रहता है और वन्य पशुओं में स्वास्थ्य बना रहता है।

11. कुक्कुट पालन

पश-चिकित्सक कुक्कुटों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और भोजन के लिए कुक्कुटों की खपत के साथ-साथ उत्तम गुणवत्ता के अंडों के लिए कुक्कुट फॉर्मों में काम करते हैं। पशु फॉर्मों की तरह ही से केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म भी हैं, जहां पर पक्षियों और तेजी से विकसित होने वाले ब्रॉयलरों और अंड़ों की नस्ल का विकास किया गया।

मुंबई, भुवनेश्वर, हैसलघाट, चंड़ीगढ में केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फॉर्म वैज्ञानिक कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। जहां पर अधिक मात्रा में संकर अंडों का उत्पादन होता है और तेजी से विकसित होने वाले ब्रॉयलर का विकास किया जाता है और पेरेंट चिकिन स्टॉक को सप्लाई की जाती है।

12. डेरी

विगत दो दशकों में डेरी उद्योग के जबरदस्त विकास से देश में निर्मित डेरी उपस्करों, बेहतर गुणवत्ता मानकों और दूध से निर्मित उत्पादों की विभिन्न

किस्मों की मांग में कई प्रकार की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप डेरी उपस्कर निर्माण उद्योग और तकनीकी सलाहकार संगठनों का तेजी से विकास हुआ है और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा मिला है।

डेरी संसाधान और संबंधित उद्योगों के ऐसे उल्लेखनीय विस्तार ने डेरी प्रौद्योगकी के लिए व्यापक कैरियर संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।

इस समय देश में दूध के विभिन्न उत्पादों का निर्माण करने वाले 400 से अधिक डेरी संयत्र है। संयंत्रों के कुशल संचालन के लिए सुयोग्य व सुप्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है। डेरी संसाधन उद्योग के विकास ने देश में निर्मित डेरी उपस्करों को बढ़ावा दिया है। इस समय देश में 160 से अधिक डेरी उपस्कर निर्माता इस व्यवसाय में लगे हुए हैं।

इस उद्योग में कार्य के दो विशेष प्रकार होते हैं:

1. उपस्कर डिजाइन व निर्माण तथा संयंत्र डिजाइन
2. प्रोजेक्ट (परियोजना) निष्पादन

• डेरी प्रौद्योगिकीविद् निम्नलिखित कार्य भी कर सकते हैं:

1. परामर्शी कार्य
2. शिक्षण
3. अनुसंधान
4. अपना उद्यम लगा सकते हैं जैसे लघुउद्योग, दूध संयंत्र, क्रीमरी, आइस-क्रीम यूनिट आदि।

13. पशु पालन

पशु-चिकित्सक राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के पशु पालन विभागों में और सरकार द्वारा संचालित डेरी एवं कुक्कुट फॉर्मों में रोग निवारण और नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसके साथ-साथ वे फॉर्मों और बाजारों में पशुओं के टीकाकरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण भी करते हैं तथा फार्म पशुओं के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करते हैं।

14. स्वरोजगार

1. निजी व्यवसाय
2. परामर्श
3. किसी व्यवसायी का भागीदार या सहायक
4. एल.एस. फॉर्मों या कुक्कुट पालन आदि में उद्यमी।
5. नैदानिक प्रयोगशाला (रोग-विज्ञान, जैव-रसायन विज्ञान व सूक्ष्म जीव-विज्ञान)
6. एक्सरे, अल्ट्रा साऊंड सुविधाएं इत्यादि।
7. चिड़ियाघर पक्षी विहार व पशु शरण क्षेत्र।

निजी व्यवसाय

शहरी क्षेत्रों में पशु-चिकित्सक छोटे या घरेलू पशुओं के उपचार के लिए निजी व्यवसाय कर सकते हैं। बड़े शहरों में यह व्यवसाय अपेक्षाकृत लाभप्रद होगा। नगरीय क्षेत्रों में निजी व्यवसाय में लगे कुछ पशु-चिकित्सक सरकारी पशु-चिकित्सा अस्पतालों में अंशकालिक कार्य भी करते हैं।

निजी व्यवसाय में पशु-चिकित्सक विकासाधीन समुदाय या शहरी परिवेश में कार्य करने का निर्णय ले सकते हैं। शहरी परिवेश में वे प्राय: पालतू पशुओं का उपचार करेंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कारोबार का दायरा बढ़ जाएगा और वे सभी पशुओं, बड़े पशु-फॉर्मों व घुड़शालाओं में पूर्णकालिक पशु चिकित्सकों के तौर पर कार्य कर सकते हैं। चिड़ियाघरों, पशु विहारों, पक्षी विहारों के भी अपने पशु चिकित्सक होते हैं।

परामर्श

डेरी प्रौद्योगिकविद परामर्श देने का कार्य भी कर सकते हैं। शिक्षण और अनुसंधान के अवसरों के अलावा, डेरी प्रौद्योगिकविद लघु उद्योग, दूध संयंत्र, क्रीमरी, आइसक्रीम इकाई आदि जैसे उपक्रम भी शुरू कर सकते हैं।

स्नातक स्तर पर पढ़ाएं जाने वाले विषय

1. पशु-चिकित्सा शरीर रचना-विज्ञान व ऊतक विज्ञान	पशु शरीर की सम्पूर्ण संरचना और सामान्य पशु के ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन
2. पशु-चिकित्सा शरीर विज्ञान	पशु के सामान्य व्यवहार, शरीर के विभिन्न तंत्रों (सिस्टमों) के कार्यकलाप एवं उनके निरीक्षण की पद्धतियों का अध्ययन
3. पशु-चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान	ऊतकों की रसायनिक संरचना व शरीर तरल तथा चपायचय का रचनातंत्र, अणु जीव-विज्ञान का अध्ययन
4. पशु-चिकित्सा औषधि विज्ञान एवं विष-विज्ञान	शरीर तथा शरीर के कार्यों पर विभिन्न औषधियों, रसायनों व विषों के प्रभाव का अध्ययन
5. पशु-चिकित्सा परजीवी विज्ञान	पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले परजीवियों का अध्ययन
6. पशु-चिकित्सा सूक्ष्म जीव- विज्ञान	पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जीवाणुओं, वायरस, फफूँद आदि का अध्ययन
7. पशु-चिकित्सा रोगविज्ञान	पशु शरीर के अपसामान्य रूप व कार्यकलापों का अध्ययन
8. पशु-चिकित्सा लोक स्वास्थ्य	पशुओं के परिवेश, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पशुरोगों का अध्ययन और विलोमत: अध्ययन; स्वास्थ्यकर पशु-उत्पादों का अध्ययन

9. पशु आहार	खाद्य पदार्थों; पशु संपोषण (फीड) खाद्य प्रक्रमण, (फीड) खाद्य समवृत्तिता एनालीजिज का अध्ययन
10. जैव सांख्यिकी सहित पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी	पशु आनुवंशिकी प्रजनन संरक्षण और पशुओं की प्रजनन प्रणाली का अध्ययन
11. पशुधन प्रवर्धन एवं प्रबंधन	पालतू पशुओं, प्रयोगशाला पशुओं एवं चिड़ियाघर के पशुओं के प्रबंधन सहित पशुओं की प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन
12. पशुधन प्रवर्धन प्रौद्योगिकी	पशु उत्पादों के ऐसे संयंत्र का अध्ययन जिसमें न्यूनतम हानि समुचित संरक्षण और अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चत हों।
13. पशु प्रजनन स्त्रैणिकी एवं प्रासविकी	पशु प्रजनन, रोग और जनन अंगों की समस्याओं का अध्ययन; अपसामान्य प्रजनन करवाना
14. पशु-चिकित्सा शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) एवं विकिरण-चिकित्सा विज्ञान	पशुओं का संवेदनाहरण एवं आपरेशन। एक्स-रे एवं अल्ट्रासाऊंड व अन्य नैदानिक पद्धतियों का उपयोग।
15. पशु-चिकित्सा नीतिशास्त्र व विधिशास्त्र सहित क्लीनिकल पशु-चिकित्सा औषधि	गैर-सर्जिकल रोगों (निदान) व उपचार का अध्ययन, पशु संबद्ध विधियों एवं व्यावसायिक सेवा के नीति-शास्त्र का अध्ययन
16. पशु-चिकित्सा मरक-विज्ञान एवं निवारक औषध	पशुओं, पशु स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में डाटा एवं सूचना तैयार करने का शिक्षण सूचना के आधार पर समस्याओं का निवारण।
17. पशु-चिकित्सा एवं पशु पालन विस्तार	समाज-विज्ञान का शिक्षण अर्थात् समुदाय, उनके सामाजिक आर्थिक रूप(प्रोफाइल), जीवन शैली उनकी आवश्यकतओं व समस्याओं के मूल्यांकन के लिए उनकी संप्रेषण पद्धति; पशुचिकित्सा लोक सम्बंध

अनुबन्ध - 2

विशेषज्ञता (एम.वी. एस.सी.)

स्नातकोत्तर

1. पशु शरीर रचना विज्ञान
2. जैव-रसायन विज्ञान
3. पशु जैव-रसायन विज्ञान
4. पशु पालन
5. पशुधन अर्थशास्त्र
6. पशुपालन और पशु-चिकित्सा विस्तार
7. पशु प्रजनन स्त्रैणिकी एवं प्रासविकी
8. पशु-आनुवंशिकी और प्रजनन
9. डेरी विज्ञान
10. डेरी प्रौद्योगिकी
11. डेरी रसायन विज्ञान
12. डेरी इंजीनियरी
13. डेरी सूक्ष्म-जीवन विज्ञान
14. खाद्य स्वास्थ्य
15. चारा और आहार प्रौद्योगिकी
16. सूक्ष्म जीव विज्ञान
17. गोश्त(मीट) विज्ञान और प्रौद्योगिकी
18. संपोषण(आहार)
19. रोग विज्ञान
20. शरीर क्रिया विज्ञान

21. परजीवी विज्ञान
22. कुक्कुट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
23. सूअर पालन
24. औषधि विज्ञान एवं आविषालुता विज्ञान
25. निवारक औषधि
26. शल्य चिकित्सा(सर्जरी)
27. सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग
28. पक्षी संक्रामक रोग
29. मरक विज्ञानी एवं निवारक औषधि
30. पशुधन प्रजनन एवं प्रबंधन
31. पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी
32. पशु-चिकित्सा वाइरस-विज्ञान
33. पशु-चिकित्सा लोक स्वास्थ्य
34. पशु-चिकित्सा निवारक औषध
35. पशु-चिकित्सा औषध

अति विशेषज्ञता (पी.एच.डी.)

1) पशु प्रजनन 2) पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन 3) पशु स्त्रैणिकी एवं प्रासविकी 4) पशु संपोषण (आहार) 5) पशु शरीरक्रिया विज्ञान 6) पशु प्रजनन 7) जैव-रसायन विज्ञान 8) विस्तार शिक्षा 9) पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी 10) कुक्कुट विज्ञान 11) पशु-चिकित्सा जीवाणु विज्ञान 12) पशु-चिकित्सा प्रतिरक्षा विज्ञान 13) पशु-चिकित्सा निवारक औषध 14) पशु-चिकित्सा परजीवी विज्ञान 15) पशु-चिकित्सा रोग विज्ञान 16) पशु-चिकित्सा औषधशास्त्र (17) पशु-चिकित्सा शल्य चिकित्सा (सर्जरी) 18) पशु-चिकित्सा (वाइरस विज्ञान) 19) पशु-चिकित्सा नैदानिक औषध।

क्र. सं.	विषय	सीटों की सं. संभावित	कनिष्ठ अनुसं अ. की स. संभावित कुल	सामा.	अ.ज.	अ.ज.ज.	सीटों की संख्या		
							सा.	अ.ज.	अ.ज.ज कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10. 11.
1.	पशु-चिकित्सा व शरीर रचना विज्ञान	20	6	4	1	1	-	-	- -
2.	पशु-चिकित्सा स्त्रैणिकी एवं प्रासविकी	23	7	5	1	1	3	1	- 4
3.	औषध (नैदानिक एवं निवारक	26	7	5	1	1	-	-	- -
4.	पशु-चिकित्सा परजीवी मरक विज्ञान	19	6	4	1	1	3	-	- 3
5.	पक्षी रोग व वन्य जीव सहित पशु-चिकित्सा रोग विज्ञान	30	9	7	1	1	-	-	- -
6.	पशु-चिकित्सा औषधि विज्ञान व आविषलुता विज्ञान	18		4	1	0	4	1	- 5

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7. पशु-चिकित्सा लोक स्वास्थ्य	13	4	3	1	0	2	1	-	3
8. पशु-चिकित्सा (सर्जरी) शल्य चिकित्सा	21	6	4	1	1	4	1	1	6
9. पशु-चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान वाइरस विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान	30	9	7	1	1	-	-	-	-
10. पशु-चिकित्सा प्रतिरक्षा विज्ञान	6	2	1	0	1	3	-	1	4
11. पशु-चिकित्सा वाइरस विज्ञान	4	2	1	0	1	3	-	1	4
12. मरक विज्ञान	5	2	2	0	0	1	1	-	2
13. पशु-चिकित्सा औषध	-	-	-	-	-	3	-	1	4
14. पशु-चिकित्सा विस्तार शिक्षा	-	-	-	-	-	5	1	-	6
15. पशु-चिकित्सा जीवाणु विज्ञान	-	-	-	-	-	4	1	-	5
16. पशु-चिकित्सा रोग विज्ञान-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
II पशु विज्ञान									
1. पशु-पालन/डेरी विज्ञान	27	8	6	1	1	-	-	-	-
2. पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन	31	9	7	1	1	3	1	-	4
3. पशु-आहार/ खाद्य संबंधी प्रौद्योगिकी	37	11	8	2	1	-	-	-	-

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. पशु शरीर विज्ञान	28	8	6	1	1	3	-	1	4
5. पशुधन संवर्धन एवं प्रबंधन	22	6	4	1	1	1	-	-	1
6. पशुधन प्रौद्योगिकी एवं गोश्त विज्ञान	8	3	2	1	0	-	-	-	-
7. कुक्कुट विज्ञान	16	5	3	1	1	4	1	-	5
8. पशु-पालन/पशु-चिकित्सा प्रसार शिक्षण	11	3	2	0	1	-	-	-	-
9. पशु-आहार	-	-	-	-	-	4	-	1	5
10. पक्षी रोग	-	-	-	-	-	1	1	-	2
11. जैव-रसायन विज्ञान	-	-	-	-	-	4	-	1	5
12. जैव सांख्यिकी	-	-	-	-	-	3	-	-	3
13. पशु-जैव प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	-	7	2	1	10
14. पशु-उत्पाद प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	-	3	1	-	4

अनुबंध-4

भारत में पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेजों के संकायाध्यक्षों की सूची

क्रम सं.	नाम व पता
1.	संकाय अध्यक्ष, पशु-चिकित्सा विज्ञान संकाय, खनाकपारा कैम्पस, गुवाहाटी-781022 असम
2.	एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष, पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, असम कृषि विश्वविद्यालय, नॉर्थ लखीमपुर, पो.आफिस आजाद, असम-787001
3.	प्राचार्य, पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, तिरुपति-517502
4.	संकाय अध्यक्ष, पशु-चिकित्सा विज्ञान संकाय, प्रशासनिक कार्यालय, आचार्य एन.जी. रंगा विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030
5.	प्राचार्य, एन.टी. रामाराव पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, कृष्णा (जिला) गन्नावरम, आंध्र प्रदेश-521101
6.	संकाय अध्यक्ष, सह-प्रचार्य, बिहार पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, पटना-800014, बिहार

7. संकाय अध्यक्ष,

रांची पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन कालेज, कनके, रांची-834007, झारखंड

8. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, चौ. चरण सिंह हिसार कृषि विश्वविद्यालय हिसार-125004, हरियाणा

9. प्राचार्य,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन कालेज, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द कैम्पस, आनन्द-388001, गुजरात

10. प्राचार्य

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन कालेज, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, गुजरात-385506

11. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, सीएसकेएचपीकेवी, जिला-कांगड़ा, पालमपुर-176062, हिमाचल प्रदेश

12. निदेशक अनुदेश (पशु-चिकित्सा विज्ञान) पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, हेब्बल, बंगलौर-560024, कर्नाटक

13. निदेशक अनुदेश (पशु-चिकित्सा विज्ञान) पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, नन्दी नगर, पो.बॉक्स 6, बिदर, कर्नाटक

14. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कालेज,केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी, त्रिसूर-680654, केरल

15. विशेष अधिकारी, विशेष कार्यालय,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कालेज (पूकोट्टी, वायानाड), अस्थायी मुख्यालय, मन्नुथी, त्रिसूर-680651, केरल

16. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान व पशु पालन कालेज, जेएनकेवीवी, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश

17. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन कालेज, पोस्ट ऑफिस, रसलपुर, जिला इंदौर, महू-453446, मध्य प्रदेश।

18. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन, पोस्ट बॉक्स 6, अन्जोरा, दुर्ग-491001, छत्तीसगढ

19. एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष,

नागपुर पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, एमएएफएसयू, सेमीनरी हिल्स, नागपुर-440006, महाराष्ट्र

20. एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष एवं प्राचार्य,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कालेज, एमएएफएसयू पोस्ट बॉक्स नं. 2301, जिला लातूर, उदयगिर-413517, महाराष्ट्र

21. संकाय ,अध्यक्ष,

के.एन.पी. पशु-चिकित्सा विज्ञान, कालेज, एमएएफएसयू, पोस्ट शिरवाल, तालुका खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र-412801

22. एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष एवं प्राचार्य,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कालेज, महाराष्ट्र कृषि और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, परभनी, महाराष्ट्र-431401

23. एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष,

बम्बई पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, मैफ्सू, पार्ले, (एमएएफएस विश्वविद्यालय), मुम्बई-12, महाराष्ट्र

24. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा एवं पशु पालन कालेज, उड़ीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003, उड़ीसा

25. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334001, राजस्थान

26. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145, उत्तरांचल

27. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन कालेज, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पो.आफिस कुमार गंज, फैजाबाद-224229, उत्तर प्रदेश

28. एसोसिऐट संकाय अध्यक्ष, पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन एसकेयूएएसवी (जे) आर.एस. पुरा, जम्मू-181102, जम्मू एवं कश्मीर

29. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन, एसकेयूएएसवी (स्कूस्त) पोस्ट बॉक्स नं. 135, जीपीओ, श्रीनगर-190001, जम्मू एवं कश्मीर

30. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004, पंजाब

31. संकाय अध्यक्ष,

मद्रास पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, वैपरी, चेन्नई-600007, तमिलनाडु

32. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नम्मक्कल-627001, तमिलनाडु

33. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु-चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281002, उत्तर प्रदेश।

34. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 37, क्षुदी राम बोस शरणी, बेलगछिया, कोलकाता-700037, पश्चिम बंगाल

35. संकाय अध्यक्ष,

राजीव गांधी पशु-चिकित्सा एवं पशु-विज्ञान कालेज, मुथिरपल्लय्यम बीपीओ, करुंबापत-605009, पांडिचेरी

36. संकाय अध्यक्ष,

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन कालेज, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आइजवल कैम्पस्, सैलेसिंह आइजवल-796007, मिजोरम

पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमे का आयोजन करने वाले राष्ट्रीय संस्थान

37. संकाय अध्यक्ष स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुवेट) अध्ययन और संयुक्त निदेशक शिक्षा, भारतीय पशु-चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) इज्जत नगर, बरेली-243122, उत्तर प्रदेश

38. संयुक्त निदेशक, शिक्षा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001, हरियाणा।

अनुबंध-5

विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की सूची

क्र.सं. नाम व पते

1. रजिस्ट्रार,
   आचार्य एन.जी. रंगा, कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (आंध्र प्रदेश)

2. रजिस्ट्रार,
   असम कृषि विश्वविद्यालय, जोराहट-785013, असम

3. रजिस्ट्रार,
   बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कणके, रांची-834006, झारखण्ड

4. रजिस्ट्रार,
   केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पो. बाक्स-23, इरोइसिंबा, इम्फाल, मणिपुर-795004

5. रजिस्ट्रार,
   चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-741252, उत्तर प्रदेश

6. रजिस्ट्रार,
   चौधरी चरण सिंह , हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004, हरियाणा

7. रजिस्ट्रार,
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर
पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन संकाय, सुहम्मा (अलुस्टंग),
कश्मीर, शालीमार कैम्पस, श्रीनगर-181121, जम्मू एवं कश्मीर

8. रजिस्ट्रार,
जी.बी. पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर-263145,
जिला उधम सिंह नगर, उत्तरांचल

9. रजिस्ट्रार,
गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर, दांतेवाड़ा,
जिला बनासकांथा-385506, गुजरात

10. रजिस्ट्रार,
चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर-176002, हिमाचल प्रदेश।

11. रजिस्ट्रार,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, रायपुर-492012, छत्तीसगढ़

12. रजिस्ट्रार,
भारतीय पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
इज्जत नगर-243122, उत्तर प्रदेश।

13. रजिस्ट्रार,
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004, मध्य
प्रदेश

14. रजिस्ट्रार,
केरल कृषि विश्वविद्यालय, मुख्य कैम्पस, वैलेनीकारा, त्रिसूर-680654,
केरल

15. रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेमीनरी हिल्स, नागपुर-440006, महाराष्ट्र

16. रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश प.दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001 (उत्तर प्रदेश)

17. रजिस्ट्रार,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेंद्र नगर, पोस्ट ऑफिस कुमारगंज, फैजाबाद-224229, उत्तर प्रदेश।

18. रजिस्ट्रार,
उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003, उड़ीसा

19. रजिस्ट्रार,
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर प्रशासनिक भवन, आर.वैंकटरमण नगर, कालापत-605014, पाण्डिचेरी

20. रजिस्ट्रार,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004, पंजाब

21. रजिस्ट्रार,
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334006
राजस्थान

22. रजिस्ट्रार,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर-848125
बिहार

23. रजिस्ट्रार,
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुख्यालय,
रेलवे रोड,
जम्मूतवी-180004,
जम्मू व कश्मीर

24. रजिस्ट्रार,
तमिलनाडु पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन विश्वविद्यालय,
माधवराम मिल्क कॉलोनी, मद्रास-600007, तमिलनाडु

25. रजिस्ट्रार,
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.के.वी.के. कैम्पस, पो.बैग नं. 2477,
बंगलौर-560065, कर्नाटक

26. रजिस्ट्रार,
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि नगर, धारवाड़-580005
कर्नाटक

27. रजिस्ट्रार,
पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 37,
क्षुदीराम बोस शरणी, कोलकाता-700037
पश्चिम बंगाल

28. रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001,
हरियाणा

राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों के पते

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के तहत गठित भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इस अधिनियम का प्रयोजन पशु-चिकित्सा व्यवसाय और पशु-चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है। आज की तारीख में तमिलनाडु और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों पर लागू है।केवल मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता और पंजीकरण प्राप्त लोग ही इस देश में पशु-चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

1. रजिस्ट्रार,
   ए.पी. पशु-चिकित्सा परिषद्,
   वी.बी.आर.आई. परिसर,
   शान्ति नगर, हैदराबाद-500028

2. रजिस्ट्रार,
   अरुणाचल प्रदेश पशु-चिकित्सा परिषद्, निरंजुली, अरुणाचल प्रदेश

3. रजिस्ट्रार,
   असम पशु-चिकित्सा परिषद्,
   पशु-चिकित्सा परिसर (काम्प्लैक्स), एम.सी. रोड,
   उज़म बाजार, गुवाहाटी-781003,
   कार्यालय फोन 0361-25440, 23291

4. रजिस्ट्रार,
अंडमान एवं निकोबार पशु-चिकित्सा परिषद्,
अंडमान निकोबार प्रशासन,
महानिदेशालय पशु पालन एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान,
पोस्ट बॉक्स नं. 02, पोर्ट ब्लेयर-744102

5. रजिस्ट्रार,
बिहार पशु-चिकित्सा विज्ञान,
पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन संस्थान, परिसर,
पटना-800014 (बिहार)

6. रजिस्ट्रार,
दिल्ली पशु-चिकित्सा परिषद्,
डेरी कालोनी पशु-चिकित्सा अस्पताल,
बसंत कुंज (मसूदपुर), नई दिल्ली-110070
फोन : 011-26882265/26138117
फैक्स-26137117

7. रजिस्ट्रार,
गोवा राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
डी-2, पशुचिकित्सा अस्पताल कॉम्प्लैक्स,
टोन्का, कसंजेलम, गोवा,
फैक्स : 0832-217814

8. रजिस्ट्रार,
हरियाणा राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
एस.सी.एफ.सं 20, दूसरा तल,
सेक्टर-15, पंचकुला, हरियाणा,
फोन कार्यालय 0172-2701528
फैक्स :0172-2704741

9. रजिस्ट्रार,
एच.पी. पशु-चिकित्सा परिषद्,
पशुधन भवन, शिमला-171005, हिमाचल प्रदेश,
फोन कार्यालय -0177-230794

10. रजिस्ट्रार,
कर्नाटक पशु-चिकित्सा परिषद्,
मार्फत अपर निदेशक,
पश पालन एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान विभाग,
5वां तल, विश्वेश्वरैया मिनि टॉवर, डा. अम्बेडकर वीथी,
बंगलौर-560001, कर्नाटक
फोन कार्यालय-080-2865952

11. रजिस्ट्रार,
केरल राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
पोरुरकड़ा पो.आफिस तिरुवनंतपुरम, केरल-649005
फोन कार्यालय: 0471-2470542/ 2435246

12. रजिस्ट्रार,
लक्षद्वीप पशु-चिकित्सा परिषद्,
पशु-पालन विभाग, कवारत्ती, लक्षद्वीप

13. रजिस्ट्रार,
एम.पी. पशु-चिकित्सा परिषद्,
राज्य पशु-चिकित्सा अस्पताल भवन, ज़ेल रोड, जहांनाबाद,
भोपाल-462008 (मध्य प्रदेश)

14. रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, नागपुर क्षेत्र,
नागपुर कॉम्प्लैक्स, नागपुर (महाराष्ट्र)

15. रजिस्ट्रार,
मणिपुर राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
संसेनथौंग, इम्फाल, मणिपुर-795001
फोन कार्यालय-0385/ 223143

16. रजिस्ट्रार,
मेघालय राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
शिलांग-793002

17. रजिस्ट्रार,
नागालैंड राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
पशु पालन एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान विभाग,
कोहिमा-797001
फोन कार्यालय: 0389-27844

18. रजिस्ट्रार,
मिजोरम राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
मार्फत महानिदेशालय, पशु पालन एवं पशु-चिकित्सा सेवाएं,
मिजोरम प्रशासन, आइजॅल-796001
मिजोरम

19. रजिस्ट्रार,
उड़ीसा पशु-चिकित्सा परिषद्,
उड़ीसा जैविक प्रजनन संस्थान,
भुवनेश्वर-751003
फोन नं् कार्यालय 400068/400243

20. रजिस्ट्रार,
पांडिचेरी राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
पशु-पालन कॉम्प्लैक्स, पांडिचेरी-605001
फोन नं. कार्यालय : 203135/203216

21. रजिस्ट्रार,
पंजाब राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
कोठी नं. 1520, सेक्टर-33बी,
चण्डीगढ़,
फोन नं. कार्यालय - 604793

22. रजिस्ट्रार,
राजस्थान पशु-चिकित्सा परिषद्,
पशुधन भवन, टौंक रोड, जयपुर-302105 (राजस्थान),
फोन नं. कार्यालय 515671/574671

23. रजिस्ट्रार,
सिक्किम पशु-चिकित्सा परिषद्,
कृषि भवन, टैडोंग,
सिक्किम-737102

24. रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्,
कोकरननाथ रोड, बादशाहबाद,
लखनऊ-226007 (उत्तर प्रदेश),
फोन नं. कार्यालय 5576218

25. रजिस्ट्रार,
पश्चिम बंगाल पशु-चिकित्सा परिषद्,
पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
68 एवं 37, क्षदीराम बोस शरणी,
कोलकाता-700037
पश्चिम बंगाल

26. रजिस्ट्रार,
गुजरात पशु-चिकित्सा परिषद्,
कृषि भवन, सेक्टर-10 ए,
गांधी नगर, गुजरात,
फोन नं. कार्यालय 079-6579601/ 6579602

27. रजिस्ट्रार,
त्रिपुरा पशु-चिकित्सा परिषद्,
अस्तबल कॉम्प्लैक्स,
अगरतला, त्रिपुरा

28. रजिस्ट्रार,
तमिलनाडु पशु-चिकित्सा परिषद,
माडर्न वैटनरी कालेज कैम्पस, वेपेरी हाई रोड,
चेन्नई-600007, तमिलनाडु

29. रजिस्ट्रार,
उत्तरांचल पशु-चिकित्सा परिषद,
राजपुरा बाई पास के पास, सहस्त्रधारा रोड,
पो.आ. कुलहान, देहरादून, उत्तराखण्ड

30. रजिस्ट्रार,
झारखण्ड पशु-चिकित्सा परिषद,
राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल परिसर, पुराना हजारीबाग रोड,
चुटिया, रांची-834001, झारखण्ड

31. रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ पशु-चिकित्सा परिषद,
मार्फत संयुक्त निदेशक, पशु पालन एवं पशु-चिकित्सा सेवाएं,
रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुबंध-7

डेरी उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	कालेज	पाठ्यक्रम
1.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, हैदराबाद	एम.वी.एस.सी. (डी.पी./ डी.टी)
			पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज, तिरुपति	एम.वी.एस.सी. (डीटी/डीएस)
			डेरी विज्ञान कालेज तिरुपति	बी.एस.सी. (डी.टी.)
			डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान	बी.एस.सी.(डी.टी.)
2.	बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय, पटना	संजय गांधी डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान	बी.टैक (डी.टी.)
3.	गुजरात	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द	बहिलावाई एवं भीखाभाई पॉलिटैक्नीक कालेज	डीआईपी (डी.ई)
			सेठ एम.सी. डेरी विज्ञान, कालेज	बी.टैक (डी.टी.) एम.एस.सी.(डी) पी.एच.डी.

4.	हरियाणा	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	डेरी विज्ञान कॉलेज	डेरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा बी.टैक (डी.टी.) एम.डेरी उद्योग, पी.एच.डी
5.	कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	डेरी विज्ञान कालेज	बी.टैक. (डी.टी.) एम.एस.सी. (डीएस) पी.एच.डी.
			राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर	एन डी डी, एम. डेरी उद्योग, पीएचडी
6.	केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिचूर	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	एम.बी.एस.सी. (डीएस) पी.एच.डी
7.	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, रायपुर	डेरी प्रौद्योगिकी कॉलेज	बी.टैक (डी.टी.)
8.	महाराष्ट्र	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, पसभणी	1. कृषि कालेज	एम.एस.सी. (ए.एच. एण
			2. पशु-चिकित्सा एवं ए.एस. कालेज	एम.वी.एस.सी (डीएस)
		2. डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, वारंड	डी.टी. कालेज	बी.टैक. (डी.टी. एम.एस.सी. (ए एच एवं डी)
		3. अर्रे, मुम्बई	डेरी विज्ञान संस्थान	भारतीय डेरी डिप्लोमा (डी.टी.)
		4. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दयोली	कृषि कालेज	एम.एस. (एएच एवं डी.एस.)
		5. महात्मा राहुले कृषि विद्यापीट, राहुरी	कृषि संकाय	एम.एस.सी. (डी.एस. में कृषि)
		6. डा. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला	कृषि संकाय	एम.एस.सी. (ए.एच. एवं डी. में कृषि)

9. पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	डेरी विज्ञान विभाग	डी.टी. में डिप्लोमा
10. राजस्थान	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	डेरी विज्ञान , कालेज	बी. टैक (डी.टी.) एम.एस.सी. (डीएच एवं डीएस)
11. तमिलनाडु	तमिलनाडु (टी.एन.) पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	मद्रास पशु-चिकित्सा कॉलेज	एम.वी.एस.सी. (डी.एस.) पी.एच.डी. (डीएस)
		गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	डेरी उद्योग में पी.जी. डिप्लोमा
12. उत्तर प्रदेश	1. इलाहाबाद	इलाहाबाद कृषि संस्थान	इंडियन डेरी डिप्लोमा (डीएच) इंडियन डेरी डिप्लोमा (डी.टी.) एमएससी (डी.टी. में कृषि)
	2. गोविन्द बल्लभपंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	कृषि कॉलेज	एम.वी.एस.सी. (डी.टी. में कृषि)
	3. चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर		एम.एस.सी. (डी.टी. में कृषि)
	4. राजकीय पोलीटैक्निक इटावा		डेरी इंजीनियरी में डिप्लोमा
	5. गोविन्द बल्लभपंत कृषि एवं पशु-पालन विश्वविद्यालय		एम.वी.एस.सी. (डेरी हॅसबैंड्री)

	6. इज्जतनगर	भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	एम.वी.एस.सी (पशु प्रजनन प्रौद्योगिकी)
	7. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	कृषि संस्थान	एम.एस.सी. (ए एच एवं डी) एम.एस.सी. (डी.टी)
	8. कानपुर विश्वविद्यालय		एम.एस.सी. (एएच एवं डी में कृषि)
	9. आगरा विश्वविद्यालय आगरा	आर.बी.एस. कालेज	एम.एस.सी. (ए एच एवं डी में कृषि)
	10. वाराणसी	उदय प्रताप कॉलेज	एम.एस.सी. (ए एच एवं डी में कृषि)
13. पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मोहनपुर	डेरी विज्ञान कॉलेज	बी.टैक (डीटी) (एमएससी डेरी जीवाणु विज्ञान) एम.एस.सी (डेरी रसायन विज्ञान)
	2. खड़गपुर	आईआईटी	एम.टैक (डेरी एवं खाद्य इंजीनियरी)
	3. हरिनघाट	राज्य डेरी उद्योग संस्थान	भारतीय डेरी डिप्लोमा (डीटी)

अनुबंध-8

संयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों की सूची

राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
असम	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
दिल्ली	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
गुजरात	1. एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा 2. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
गोवा	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
हरियाणा	गुरुजंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
कर्नाटक	1. गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग 2. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
केरल	कालीकट विश्वविद्यालय, केरल
मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
महाराष्ट्र	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
पंजाब	1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 2. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 3. पंजाबी विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 4. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
तमिलनाडु	मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै
उत्तर प्रदेश	1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 3. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तरांचल	1. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर 2. कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी

अनुबंध-9

पशु-पालन एवं डेरी उद्योग विभाग के मामले में पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नौकरी संबंधित सूचना

क्र. सं.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पशुधन)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु-पालन या पशु-चिकित्सा विज्ञान में डिग्री या समकक्ष
2.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कुक्कुट)	कुक्कुट पालन में पी.जी. प्रशिक्षण या कुक्कुट प्रजनन विस्तार में 2 वर्ष का अनुभव।
3.	सहायक पशुधन अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री । (ii) अनुसंधान/पशुधन विकास कार्य से संबंधित 3 वर्ष का अनुभव।
4.	सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी	कुक्कुट पालन में पी.जी. प्रशिक्षण और कुक्कुट प्रजनन/विस्तार/पालन में 3 वर्ष का अनुभव।
5.	सहायक आयुक्त (पशु विकास)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु-पालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित पशु विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री (iii) पशु विकास में 5 वर्ष का अनुभव।
6.	सहायक आयुक्त (भेड़)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित पशु विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) भेड़ व ऊन से संबंधित कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।

7. सहायक आयुक्त (कुक्कुट)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु-पालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित कुक्कुट विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री । (iii) कुक्कुट विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।
8. सहायक आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य पशु-प्लेग/पशु संगरोध)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित पशु-चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) रोग नियंत्रण/अन्वेषण कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।
9. सहायक आयुक्त (अश्वीय विकास) पशु-प्लेग/पशु संगरोध)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित पशु विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) अश्वीय विकास/अनुसंधान कार्य या अश्व पालन योजना में 5 वर्ष का अनुभव ।
10. सहायक आयुक्त (सूअर पालन)	(i) पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु-पालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित पशु विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) सूअर पालन/पोर्क प्रौद्योगिकी में 5 वर्ष का अनुभव।
11. सहायक आयुक्त (पशु शव उपयोग)	(i) पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु-पालन में डिग्री । (ii) प्रजनन से संबंधित पशु विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) पशु शव उपयोग संबंधी कार्य करने/समन्वयन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।
12. उप आयुक्त (पशु विकास/एकीकृत पशु विकास परियोजना)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय से विशेषकर गौजातीय विषय से संबंधित विषयों में पशु प्रजनन, आनुवंशिकी या शरीरक्रिया विज्ञान में पी.जी. डिग्री (iii) पशु विकास के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव।

13. उप-आयुक्त (भेड़)	(i) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली या दूसरी अनुसूची में शामिल पशु-चिकित्सा में मान्यता प्राप्त डिग्री। (ii) पशु-चिकित्सा विज्ञान/पशु आनुवंशिकी और प्रजनन की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) भेड़/बकरी प्रजनन कार्य का पर्यवेक्षक की हैसियत से 10 वर्ष का अनुभव।
14. उप आयुक्त (कुक्कुट)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री। (ii) प्रजनन से संबंधित कुक्कुट विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) कुक्कुट प्रजनन के कार्य में पर्यवेक्षण की हैसियत से 10 वर्ष का अनुभव
15. सहायक आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान में डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु रोग नियंत्रण से संबंधित पशु-चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष। (iii) पशु रोग नियंत्रण या अन्वेषण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत से 10 वर्ष का अनुभव।
16. संयुक्त आयुक्त (पशुधन प्रजनन)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु-पालन की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी जिम्मेवार पद पर पशुधन विकास अनुसंधान कार्य का 12 वर्ष का अनुभव। (iii) किसी पशु पालन विभाग या संस्थान में प्रशासनिक अनुभव।
17. संयुक्त आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य निगरानी)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुधन स्वास्थ्य विषय से संबंधित पशु-चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री या समकक्ष।

	(iii) पशुरोग नियंत्रण या अन्वेषण का पर्यवेक्षक की हैसियत से 12 वर्ष का अनुभव।
18. संयुक्त आयुक्त (कुक्कुट)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय से पी.जी. डिग्री। (iii) कुक्कुट विकास या अनुसंधान में 12 वर्ष का अनुभव
19. संयुक्त आयुक्त (गोश्त एवं गोश्त उत्पादन)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में डिग्री । (ii) किसी मान्यता प्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय से मांस प्रौद्योगिकी/प्रक्रमण या मांस निरीक्षण/ स्वास्थ्य या मांस या सूअर के गोश्त के उत्पादन के विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि। (iii) गोश्त पशुओं, गोश्त/पोर्क और गोश्त/पोर्क उत्पादों के उत्पादन/विपणन के लिए मांस प्रक्रमण, उत्पाद तैयार करने और विकास कार्यक्रमों की आयोजना एवं निष्पादन और आधुनिक बूचड़खानों और गोश्त और पोर्क प्रक्रमण संयंत्रों की आयोजना। प्रबंधन में 12 वर्ष का अनुभव
20. संयुक्त आयुक्त (पशु प्रजनन पालन)	(i) पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में डिग्री। (ii) डेरी प्रबंधन सहित पशु पालन की किसी भी शाखा में पी.जी. डिग्री। (iii) बड़े डेरी उद्योगों, पशु झुण्ड पंजीकरण, और कृत्रिम गर्भाधान के प्रबंधन और प्रशासन का 12 वर्ष का अनुभव।
21. वरिष्ठ तकनीकी सहायक (डेरी)	उपलब्ध नहीं।
22. तकनीकी अधिकारी (डेरी विकास)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा (ii) दूध उत्पादन और दूध से निर्मित उत्पादों के कामकाज सहित डेरी उद्योग का लगभग 2 वर्ष

	(डिप्लोमा धारकों के लिए 3 वर्ष) व्यावहारिक अनुभव।
23. सहायक आयुक्त (डेरी विकास)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा (ii) डेरी विकास या डेरी उत्पादों के कामकाज से संबंधित और दूध से निर्मित उत्पादों के विपणन का लगभग 5 वर्ष का अनुभाग।

- पदनाम में परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध-10

भारत में पशु विज्ञान विषयों से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की सूची

1. केन्द्रीय पक्षी (एविऍन) अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122 उत्तर प्रदेश
2. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सिरसा रोड, हिसार-125001, हरियाणा
3. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा-281122, उत्तर प्रदेश।
4. केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, एविकानगर-304501, राजस्थान।
5. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122, उत्तर प्रदेश
6. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001, हरियाणा।
7. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पोस्ट बॉक्स 129, करनाल-132001, हरियाणा
8. राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र जोरबीर, पोस्ट बॉक्स नं. 07, बीकानेर-334001, राजस्थान
9. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार-125001, हरियाणा

10. राष्ट्रीय गोश्त अनुसंधान केन्द्र, सैयदाबाद, सीआरआईडीए कैम्पस, हैदराबाद-500059

11. राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, झरनापानी, मेदजीफीमा, नागालैण्ड-797106

12. पशु परियोजना महानिदेशालय, मोदीपुरम-250001, उत्तर प्रदेश।

13. कुक्कुट परियोजना महानिदेशालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030, आंध्र प्रदेश।

14. राष्ट्रीय पशु आहार (पोषण) एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान, अडुगुडी, बंगलौर-560030

15. राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, पश्चिम कैमेंग-790010, अरुणाचल प्रदेश

16. पशु रोग निरीक्षण एवं निगरानी परियोजना महानिदेशालय हैब्बल, बंगलौर-560024, कर्नाटक

17. पाद और मुख रोग परियोजना महानिदेशालय, आईवीआरआई, मुकेश्वर, कुमायूं - 263138, उत्तरांचल।

18. उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला (राष्ट्रीय उपचार सुविधा)हाथल खेड़ा फार्म, आनन्द नगर, भोपाल-462021, मध्य प्रदेश।

परिशिष्ट

क.अ.अ.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
ओ.जी.पी.ए.	ओवर आल ग्रेड प्वाइंट एवरेज
इंटर्नशिप	अनिवार्य अंतरंग डाक्टर
आई.सी.ए.आर.इंस्टीट्यूट	इंडियन कांउसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट
आई.वी.आर.आई इंस्टीट्यूट	इंडियन वेटेरेनिरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
डी.टी.	डेयरी टेक्नालॉजी
जी.पी.ए.	ग्रेड प्वाइंट एवरेज
डी.बी.टी.	डिपार्टमेन्ट ऑफ बॉयोटेक्नालाजी
पी.जी.आई.एम.ई.आर.	पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च
जे.आर.एफ.	जूनियर रिसर्च फैलोशिप
सी.एस.आई.आर.	कौंसिल आफ साइनटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च
यू.जी.सी.	यूनिर्वसिटी ग्रांट कमीशन
आई.सी.एम.आर.	इन्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
एन.डी.आई.आर.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट

GMGIPMRND—3483CIRTES—15-01-2010.

© GOVERNMENT OF INDIA
CONTROLLER OF PUBLICATIONS

PDGET.379 (H)
20750—2009 (DSK-II)

Price: Inland Rs. 33.00 Foreign $ 0.68 or £ 0.48